हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1982

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 15 मार्च, 1982

पृश्ठ संख्या

सचिव द्वारा घोशणाः–	
अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में	(1)1
राज्यपाल का अभिभाशण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)16
घोशणायेंः–	(1)38
उपाध्यक्ष द्वाराः–	
1. पैनल आफ चेरमैन	(1)38
2. कमेटी आन पैटी ंज	(1)38
सचिव द्वाराः–	
3. राज्यपाल/राश्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1)39
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1)39

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गये कागज पत्र	(1)49
वि ोशाधिकार मामलों के सम्बन्ध में प्रिविलेज कमेटी की प्रिलिमिनिरी रिपोर्टस पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढ़ानाः–	
1. स्वामी आदित्यवे ा एम.एल.ए. द्वारा चौधरी संत कंवर, एम.एल.ए. के विरूद्ध लगाए गए आरोपों सम्बन्धी	(1)51
वाक आउट	(1)57
वि ोशाधिकार मामलों के सम्बन्ध में प्रिविलेज कमेटी की प्रिलिमिनिरी रिपोर्टस पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढ़ानाः–	
2. चौधरी संत कंवर एम.एल.ए. द्वारा स्वामी आदित्यवे ा एम..एल.ए. के विरूद्ध लगाये गए आरोपों सम्बन्धी	(1)57
3. 10 जुलाई, 1980 को इस महान सदन के माननीय सदस्यों के लिए क्षोभक तथा अपमानजनक भाशा प्रयोग करने के सम्बन्ध में डा. मंगलसैन एम.एल.ए. के विरूद्ध अभिकथित वि ोशाधिकार भंग करने के प्र न सम्बन्धी	(1)58

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 15 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 15.25 बजे हुई। उपाध्यक्ष (कंवर विजयपाल सिंह) ने अध्यक्षता की।

सचिव द्वारा घोशणा

अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

Secretary: I have to inform the House that due to unavoidable absence of the Hon. Speaker, the Hon. Deputy Speaker shall preside over this day's sitting.

(At this stage the Hon. Deputy Speaker occupied the Chair.)

राज्यपाल का अभिभाशण

श्री उपाध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार आपको यह सूचना दनेी है कि कांस्टीच्यू ान के आर्टिकल

176(1) के अनुसार राज्यपाल महोदय ने आज बाद दोपहर 15 मार्च, 1982 को 2 बजे हरियाणा विधान सभा के सामने एड्रैस देने की कृपा की है। एड्रैस की एक कापी आन दि टेबल आफ दि हाउस रखी जाती है।

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यगण,

नए वर्श में हरियाणा विधान सभा के पहले अधिवे ान के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए और आप सब के लिए भाुभ कामनाएं करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्ता हो रही है।

यह गरिमावान सदन जो हरियाणा के परिश्रमी लोगों की आकांक्षाओ को समोये है, सदा से ही संसदीय लोकतन्त्र के महानतम मूल्यों के प्रति समर्पित रहा है। कोई सन्देह नहीं है कि इस सत्र के दौरान बजट और अन्य विधायी मामले जो आप लोगों के सामने आएंगे, इस महान सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए आप उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार विम र्ा करेंगे।

वास्तव में यह हम सब के लिए सन्तोश एवं गौरव का विशय है कि हरियाणा राज्य ने भाीघ्र ही समाप्त हो रहे वर्तमान वित्त वर्श के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक विकास के हर क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की है।

मेरी सरकार की मूल विचाराधारा यह रही है कि विकास की गति तेज की जाए और प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए उन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जायें। हमारी आर्थिक नीति के प्रमुख उद्दे य हैं – कृशि का विकास करना, किसानों को प्रोत्साहन देकर और कृशि की उन्नत विधियों को अपनाते हुए खेती की उपज में वृद्धि करना, बिजली और सिंचाई की क्षमता बढ़ा कर तथा ग्रामणी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा कर और व्यापक सड़क परिवहन सुविधाएं जुटा कर आर्थिक व्यवस्था की मूलभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना, देहाती क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास करना, स्वास्थ्य, ि ाक्षा और अन्य सामाजिक सुविधाओं का विस्तार करना, ताकि आम लोागें के और वि ोश रूप से समाज के कमजारे वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। साथ ही मानव साधनों का अधिक रचनात्मक ढंग से प्रयोग में लाने के उद्दे य से ि ाक्षा पद्धति को नया रूप देना भी हमारी आर्थिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। इन उद्दे यों की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार ने कई ठोस कार्यक्र अपनाएं हैं और हमारा यह प्रयास है कि हम विकास की ओर तेज करें। विकास एवं वृद्धि की योजनाओं को क्रियान्वित करते समय सामाजिक न्याय पर वि ाश बल दिया गया है जो ि हमारे विधान के निर्दे ाक सिद्धान्तों में प्रतिश्ठित है और हमारी लोकप्रिय प्रधान मंत्री, श्रीमति इन्दिरा गांधी के नए 20 सूत्री कार्यक्रम में जिस की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसी भावना से और कमजोर वर्गो को अधिक प्रोत्साहन देने और उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के उद्दे य से मेरी सरकार

ने नए 20 सूत्री कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री के वर्श 1982 को उत्पादन वर्श के रूप में मनाए जाने के आह्वान के प्रति अपने आपको समर्पित कर दिया है। मेरी सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में और वि ोशकर कृशि एवं उद्योग के क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन के लिए सभी साधनों और क्षमताओं को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाया जाये।

चालू वर्श का सं ाोधित योजनागत परिव्यय 290 करोड़ रूपए है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्श योजनागत खर्च 246. 01 करोड़ रूपए था। अनुमानित रूप से वर्श 1982–83 के लिए 319.98 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत हुई है। प्रत्येक वर्श के योजना प्रावधान में पर्याप्त वृद्धि से हमारे जनता के अधिक से अधिक कल्याण के संकल्प का नि चत आभास मिलता है। वर्श 1982–83 में अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों अर्थात बिजली, कृशि, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण पर अधिक बल दिया गया है। बिजली के लिए जो कि विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है, खर्च की जाने वाली रकम 80.46 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 102.50 करोड़ रूपये कर दी गई है। कृशि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए आबंटित की गई रा ि ा 57.36 करोड़ रूपये होगी जबकि पिछले वर्श यह 50.76 करोड़ रूपये थी। सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण का प्रावधान 77 करोड़ से बढ़ा कर 79.50 करोड़ रूपये कर दिया गया है। मेवात विकास कार्यक्रम और कम अवसर प्राप्त लोगों के लिए अन्य

सामाजिक सुविधाओं के लिए भी पर्याप्त वितीय व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक में और अधिक सुधार लाने के लिए एक वि ोश अंगभूत योजना, (Special Component Plan) बनाई गई है। जिसमें अनेक उत्थान कार्यक्रम भाामिल हैं, जिनके माध्यम से छठी योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के 2.94 लाख व्यक्ति निर्धनता सीमा को पार कर सकेंगे।

प्राकृतिक प्रकोपों के परिणामस्वरूप राहत कार्यों पर भारी खर्च करना पड़ा। हमें आ ाा थी कि वर्तमान फसल में पिछले वर्श की अपेक्षा सुधार होगा किन्तु दुर्भाग्यव ा गत कुछ सप्ताहों के दौरान एक बड़े क्षेत्र, वि ोशकर राज्य के दक्षिणी भाग में ओलावृश्टि व प्रतिकूल मौसम से खड़ी फसलों को क्षति पहुंची हैं राज्य सरकार ने किसानों को तुरन्त राहत देने के लिए आव यक उपाय चालू कर दिये हैं। गत वर्श भी हमारे साथर यही दुर्घटना हुई थी। 1981 के पहले तीन मास के दौरान राजय के दस जिलों को ओलावृश्टि से क्षति पहुंची थी। किसानो को 200 रूपये से 400 रूपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़ की दर से अनुग्रही राहत प्रदान करने के लिए ओलावृश्टि से प्रभावित जिलों में 9.13 करोड़ रूपये की रा ि ा खर्च की गई। इसके अतिरिक्त वर्शा कम होने के कारण अनेक जिलों में सूखा भी पड़ गया था और भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त 3.66 करोड़ रूपये की रा ि ा का उपयोग राहत कार्य के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, 990

लाख रूपये की राि ा राहत कार्य भाुरू करने और तकावी कर्जे देने तथा अल्पावधि कर्जो को मध्यमावधि कर्जों में बदलने के लिए उपायुक्तों और विभिन्न विभागों को उपलब्ध करवाई गई। यह भी निर्णय लिया गया है कि किसानों को भूमि जोत कर से छूट के रूप में भी राहत दी जाये। राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जुटाया जा सके, सामुदायिक सम्पति बनाई जा सके और ग्रामीण मूलभूत संरचना को सदृढ़ बनाया जा सके। यह लाभप्रद कार्यक्रम वर्शा 1982–83 में भी जारी रहेगा जिसके लिए 356 लाख रूपये का परिव्यय प्रति ात है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमें आ ाा थी कि भीतकालीन वर्शा, जल तथा बिजली की उचित व्यवस्था और सस्यविज्ञान सम्बन्धी तरीके अपनाने से किसानों की रबी की फसल अच्छी होगी। वर्श 1981–82 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 69 लाख टन तक पहुंच जाने की आ ाा थी। फसलों को हुई क्षति का पता लगाने के लिए वि ोश गिरदावरी का आदे ा दे दिया गया है। वर्श 1982–83 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 71.40 लाख टन और गुड़ के रूप में गन्ने का उत्पादन 7.60 लाख टन नियत किया गया है। अधिक उपज देने वाली किस्म की फसलों के क्षेत्र को 22.25 लाख हैक्टयार से बढ़ा कर 23.40 लाख हैक्टेयर करने का भी प्रस्ताव है। प्रमाणित तथा उन्नत बीजों का वितरण 2.09 लाख क्विंटल तक कर दिया जाएगा जबकि वर्श 1981–82 के दौरान यह 1.34 लाख क्विंटल ही था। इसी प्रकार, उर्वरक वितरण

का लक्ष्य भी 2.52 लाख टन से बढ़ा कर 3.53 लाख टन कर दिया जाएगा और इसके अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 1981–82 के 48 लाख हैक्टेयर से बढ़ कर अगले वर्श 51.10 लाख हैक्टेयर हो जाने की सम्भावना है। गेहूं की फसल के लिए समूचे राज्य में फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्कीम के अन्तर्गत जौ की फसल के लिए भी ग्यारह तहसीलें तथा चने के लिए बारह तहसीलें लाई जा चुकी हैं। वर्श 1982–83 के दौरान भी खरीफ और रबी के लिए इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है।

पानी कृशि में जीवन संचार करता है। आधुनिक हरियाणा के इतिहास में 31 दिसम्बर, सन् 1981 का दिन एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता रहेगा जबकि पंजाब, हरियाणाव राजस्थान राज्यों के मध्य रावी व्यास के पानी के बंटवारे के समझौते पर प्रधान मंत्री जी के आ ीर्वाद से हस्ताक्षर हुए। दो वर्शों में सतलुज यमुना योजक नहर का समयबद्ध कार्यक्रम पूर हो जाने पर हरियाणा और वि ोशकर राज्य के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को 35 लख एकड़ फुट पानी उपलब्ध हो जायेगा और 5 लाख 67 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। हरियाणा सरकार पंजाब क्षेत्र में योजक नहर के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को अब तक आठ करोड़ रूपया दे चुकी है। इस बात को सुनि ि चत करने के लिए कि इस कार्य के पूरा होने में कोई विलम्ब न हो, आव यकतानुसार और रा ि ा पंजाब सरकार को दे दी जायेगी। काफी समय से चले आ रहे इस विवाद के

निपटारे पर हरियाणा वासियों राज्य के हितों की पूरी तरह से रक्षा करते हुए इस विशय पर चल रहे विवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सतलुज यमुना योजक नहर हरियाणा के लोगौं के लिए वास्तव में ऐतिहासिक महत्व रखती है।

माननीय सदस्यगण इस बात को जानते ही है कि मुख्य नहरों, रजवाहों और जलमार्गों के आधुनिकीकरण और उन्हें पक्का करने के लिए वि व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का प्रथम चरण अगस्त, 1982 तक पूरा होने वाला है और इसकी अनुमानित लागत 58.60 करोड़ रूपये है। इस चरण में 2.5 करोड़ वर्ग फुट नहरों और रजवाहों को पक्का कर दिया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप 1500 क्यूसेक अमूल्य पानी की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 1981 तक लगभग 11 करोड़ रूप्ये की अनुमानित लागत से 1423 किलोमीटर लम्बे 343 जल मार्ग पक्के किये जा चुके है। वर्श 1982–83 के दौरान 25 करोड़ रूपए की लागत से 2438 किलोमीटर लम्बे अतिरिक्त जलमार्ग पक्के किए जाएंगे। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने मई, 1982 के अन्त तक 10000 अतिरिक्त नलकूपों को बिजली देने का कार्यक्रम आरम्भ किया है। उस समय तक राज्य में बिजली से चलने वाले नलकूपों की कुल संख्या 2.5 लाख तक पहुंच जायेगी। इन सभी जल साधनों को प्रयोग में लाए जाने से राज्य की अर्थ व्यवस्था और अधिक सम्पन्न हो जाएगी।

कृशि तथा औद्योगिक विकास के लिए बिजली के अत्याधिक महत्व को देखते हुए मांग और प्राप्यता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे है। पानीपत में 110–110 मैगावाट के दो अतिरिक्त संयन्त्र और 210 मैगावाट का एक संयन्त्र लगाने का काम प्रगति पर है। 64 मैगावाट की पि चमी यमुना नहर पन–बिजली परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। वर्श 1983–84 मे इन दोनों परियोजनाओं से बिजली उपलब्ध होने लगेगी। यमुना नगर थर्मल बिजली घर और नाथपा झाकरी परियोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्ण होने वाली बैरा सियूल परियोजना में भी हरियाणा का 37 मैगावाट हिस्सा है। ब्यास परियोजना के दूसरे चरण में मिलने वाली बिजली में भी हमारा हिस्सा है। इस परियोजना के अगल 2–3 वर्शों में पूरा होने की सम्भावना है। इसी प्रकार सिंगरोली थर्मल परियोजना में भी हरियाणा का 200 मैगावाट का हिस्सा है। पिछली खरीफ के दौरान राज्य के एक बड़े भाग में भारी सूखे के परिणाम स्वरूप बिजली की मांग वि ोश कर धान उगाने वाले क्षेत्रों में, अत्याधिक बढ़ गई थी और स्थिति का सामना करने के लिए, उपलब्ध बिजली का लगभग 60 प्रति ात भाग कृशि क्षेत्र को दिया गया। रबी फसल की बुवाई के दौरान भी बिजली सप्लाई की पूरी व्यवस्था की गई थी। बिजली के इस अधिक उत्पादन का श्रेय हरियाणा के अपने थर्मल बिजली घरों को जाता है जिनसे प्रतिदिन 158 लाख यूनिट बिजली प्राप्त होने का कीर्तिमान स्थापित हुआ,

जबकि हरियाणा बनने के समय 1966 में केवल 17 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन पैदा होती थी।

किसानों के लिए बेहतर विपणन सुविधाऐं जुटाने के लिए अनेक पग उठाये गये हैं। अनाज मण्डियों के विकास के लिए बनाये गए मास्टर प्लान पर कार्य सितम्बर, 1982 से आरम्भ हो जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत अगले 20 वर्शों में 221.10 करोड़ की अनुमानित लागत से चरणवार 128 नई अनाज मण्डियों व 14 सब्जी एवं फल थोक मण्डियों का विकास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वि व बैंक की सहायता से 23.43 करोड़ रूपये की लागत से 26 नई मण्डियसों का विकास किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 7.34 करोड़ रूपये की रा ि ा दिसम्बर, 1981 के अन्त तक 21 मण्डियों के विकास पर खर्च की जा चुकी है और यह आ ाा की जाती है कि दिसम्बर, 1983 के अन्त तक यह सभी 26 मण्डियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी।

कृशि उपज को अधिकतम बढ़ाने के उद्दे य से दी गई आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ छोटे और सीमान्त किसानों, खेतीहर व अन्य मजदूरों तथा देहाती कारीगरों की ओर वि ोश ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्दे य को ध्यान में रखते हुए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को राज्य के सभी विकसा खण्डों में लागू कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्श में प्रति ब्लाक 6 लाख रूपये की रा ि ा रखी गई है, और विभिन्न लाभकारी स्कीमों के माध्यम से इस वर्श के दौरान 37235

परिवारों को साहयता देने की योजना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और वे गरीबी की सीमा से ऊपर आ जाएं। इनमें से लगभग 66 प्रति ात परिवार अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त, पच्चीस हजार छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता फार्म वानिकी स्कीम के अधीन की जाएगी। इस स्कीम के अधीन उन्हें निः ाुल्क पौधे दिए जायेंगे और उनके खेतों में बिना किसी भाुल्क के लगा भी दिये जायेंगे। समेकित ग्रामीण विकासकार्यक्रम के अन्तर्गत वर्श 1982–83 में 6.96 करोड़ रूपये की रा ि ा रखी गई है और पचास हजार परिवारों को सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गति तेज करने और विभिन्न ग्रामीण विकास स्कीमों के पर्यवेक्षण और तालमेल के उद्दे य से राज्य के सभी 12 जिलों मे ंएक एक अतिरिक्त उपायुक्त का पद बनाया गया है।

विभिन्न सहकारी संस्थाएं पहले की भान्ति ऋण उपलब्ध कराने, कृशि निवे ाों के वितरण करने, कृशि उपज के विप ान, उपभोक्ता वस्तुओं की नियमित सप्लाई, कृशि आधारित प्रोसैंसिंग इकाइयां लगाने आदि के द्वारा किसानों को आव यक सुविधाएं जुटाने में मुख्य भूमिका निभा रही है। प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों ने सहकारी वर्श 1980–81 के दौरान 124.74 करोड़ रूपये की रा ि ा ऋण के रूप में दी जबकि वर्श 1979–80 के दौरान यह रा ि ा 92.36 करोड़ रूपये थी। हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने सहकारी वर्श 1980–81 के दौरान 29846

किसानों को 3052.05 लाख रूपये की रा ि ा दीर्घावधि ऋण के रूप में दी, इस रा ि ा का लगभग 60 प्रति ात भाग छोटे तथा सीमान्त किसानों को दिया गया। किसानों की दीर्घावधि ऋण आव यकताओं को अधिक सरलता से जुटाने के उद्द य से 6 नए सहकारी प्राईमरी भूमि विकास बैंकों का गठन किया जा रहा है।

यह हर्श का विशय है कि भााहबाद, जींद और पलवल में सहाकरी चीनी मिलों की स्थापना के लिए सरकार ने अन्ततः लाइसेंस जारी कर दिये हैं। राज्य सरकार इन मिलों की स्थापना के लिए 525 लाख रूपये राज्य हिस्सा पूंजी के रूप में लगाने के लिए वचनबद्ध है।

मेरी सरकार प ाुपालन, डेयरी विकास, मछली पालन और वन विकास जैसे सम्बद्ध क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है ताकि लोगों, वि ोश रूप से गांव वासियों की बेरोजगारी की समस्या को सुलझाया जा सके और उनके जीवन स्तर को भी उन्नत किया जा सके। मिनी डेयरी योजना के अधीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1440 ि ाक्षित युवकों को अपनी डेयरी इकाइयां लगाने के लिए ऋण दिये गये हैं, और वर्श 1981–82 में इस योजना पर 39.91 लाख रूपये खर्च किये जा रहे हैं। इस योजना को लागू करने के लिए वर्श 1982–83 में 50.82 लाख रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है। वर्श 1982–83 में प ाुपालन की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 2.01 करोड़

रूपये की रा ि ा का प्रावधान किया गया है। जिला गुड़गांव के लिए हाल ही में एक मत्स्य पालन विकास एजेन्सी की स्थापना की गई है, वर्श 1982–83 के लिए राज्य में विभिन्न मछली पालन कार्यक्रमों के लिए 48 लाख रूपयों का उपबन्ध किया गया है।

वि व बैंक की सहायता से पहली अप्रैल, 1982 से 33. 33 करोउ़ रूप्ये की लागत से एक सामाजिक वानिकी परियोजना आरम्भ की जा रही है। इसके अधीन सारे राज्य में वृक्षारोपण का एक वि ाल कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस परियोजना से गांव वासियों को लगभग 109.4 लाख टन अतिरिक्त ईंधन लकड़ी, 22 लाख 90 हजार घन मीटर इमारती लकड़ी और 60 लाख टन चारा प्रांप्त होगा। इसके अतिरिक्त, खेतीहर मजदूरों और किसानों को 190 लाख श्रम दिनों का सीधा रोजगार भी प्राप्त होगा। वर्श 1982–83 की योजना में 7005 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तथा 6350 किलो मीटर लम्बी सड़क पंक्तियों में वृक्षारोपण के लिए 370 लाख रूपये की भी व्यवस्था है। खेती में जो 8 करोड़ वृक्ष लगायें जाऐंगे, वे इसके अतिरिक्त हैं।

हमारे राज्य में आर्थिक विकास का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है – उद्योग। राज्य की औद्योगीकरण की वतर्नमान गति को बनाए रखने के प्रयत्न किये गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों, वि ोश कर राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में, उद्योग स्थापित करने पर बल दिया गया है। इस उद्दे य की पूर्ति के लिए मेरी सरकार ने जो विभिन्न आर्कशक सुविधाऐं जुटाई हैं, उनके परिणाम स्वरूप राज्य में अभी

तक गांवों में 4959 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिनसे 25000 से व्यक्ति अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है, जिनमें 50 प्रति ात से अधिक अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं। राज्य में पूंजी लगाने को बढ़ावा देने और नीवनतम तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करने के उद्दे य से विदे ाों में रहने वाले भारतीयों को वि ोश प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। मेवात विकास बोर्ड के अधीन, हथीन, नूह और रोजकामेव में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक सम्पदाओं के लिए पहले ही भूमि अभिगृहीत कर ली गई है। इसके अतिरिक्त गुड़गांव, फरीदाबाद और हिसार की औद्योगिक सम्पदाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त भूमि अभिगृहीत करने का भी प्रस्ताव हैं। इस वर्श के दौरान विदे ा में रहने वाले भारतीयों को औद्योगिक प्लाट ाबंटित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। जिसके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक निकले हैं और इस योजना के अधीन उद्योग स्थापित करने के लिए अब तक 386 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। चालू वर्श के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 14 परियोजनाओं की स्थापना के लिए 587.72 लाख रूपये की वितीय सहायता दी है। इसी अवधि में हरियाणा वितीय निगम ने 341 औद्योगिक इकाइयों को 2035.05 लाख रूपये के ऋण स्वीकृत किये हैं।

उपकरणों को आधुनिक रूप देने और उनके आद र्ा विकास के लिए समुचित तकनीकी आधार जुटाने और पराम र्ा,

प्रि ाक्षण एवं आंकड़ा सैल आदि की केन्द्रित सुविधायें जुटाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से यू.एन.डी.पी./ यू.नी.डो. द्वारा जुटाई गई 10 लाख डालर की आर्थिक सहायता से अम्बाला में 'उपकरण डिजाइन विकास एवं सुविध केन्द्र' नामक परियोजना की स्थापना की है जिस पर 2 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

वर्श 1981–82 के दौरान ि ाक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त हुई है। प्रत्येक बच्चे को घर के निकट ि ाक्ष की सुविधायें जुटाने के लिए राज्य में लगभग एक मील की परिधि में कम से कम एक प्राईमरी स्कूल उपलब्ध है और इस समय राज्य में कुल 4695 प्राईमरी स्कूल कार्य कर रहे हैं। चालू वर्श में 210 प्राईमरी स्कूलों का स्तर बढ़ा कर मिडिल आ ैर 125 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बनाया गया हैं। राज्य में जोरदार प्रवे ा अभियान चलाने के परिणाम स्वरूप स्कूलों में प्रवे ा पाने वाले बच्चों की संख्या 12.45 लाख से बढ़ कर 13 लाख हो गई है। मेवात क्षेत्र में उर्दू ि ाक्षा की सुविधायें जुटाने पर वि ोश ध्यान दिया गया है तथा उर्दू जानने वाले अध्यापकों के लिए जे.बी.टी. कक्षायें भी खेली गई है। नैतिक मूल्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों मे ंनैतिक ि ाक्ष को एक विशय के रूप में प्रारम्भ किया गया है। प्रौढ़ ि ाक्ष कार्यक्रम की ओर भी वि ोश ध्यान दिया जा रहा है और राज्य में इस समय 3383 प्रौढ़ ि ाक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं। ि ाक्षा के प्रसार मे ंगैर सरकारी कालिजों

द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने उनका वार्शिक अनुरक्षण अनुदान 75 प्रति ात से बढ़ाकर 95 प्रति ात कर दिया है। इस वर्श के दौरान राजय सरकार ने दो गैर सरकारी कालिजों को वितीय कठिनाइयों के कारण बन्द होने से बचनो के लिए अपने अधिकार में ले लिया है। इसके अतिरिक्त, वर्श के दौरान तीन नये राजकीय महा विद्यालय भी खोले गये हैं। ि ाक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों को दी जा रही रियायतों को उदार बनाने हेतू भी विभिन्न पग उठाये गये हैं।

ि ाक्षित युवा वर्ग को रोगार के बेहतर साधन जुटाने के उद्दे य से तकनीकी ि ाक्षा और औद्योगि प्रि ाक्षण के क्षेत्र में विभिन्न योजनाये लागू की गई हैं। मेवात क्षेत्र में नवर्निमित हथीन, फिरोजपुर झिरका और नगीना के औद्योगिक प्रि ाक्षण केन्द्रों ने पूर्ण रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, वर्श 1981–82 में आदमपुर और नलवा में भी दो अन्य औद्योगिक प्रि ाक्षण केन्द्र खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त 3200 प्रि ाक्षु इस समय विभिन्य व्यवसायों में प्रि ाक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन देने वाले पग उठाये गये हैं। चालू वित्त वर्श के दौरान खेल विभाग द्वारा 37 योजनायें चलाई जा रही हैं और युवा कल्याण के अभिन्न अंग के रूप में वास्तविक खेल

वातावरण बनाने के उद्दे य से इन योजनाओं द्वारा सांझे प्रयास किये जा रहे हैं। चालू वर्श में युवा वर्ग के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए नेहरू युवक केन्द्र और चेतना संघ नामक दो नई योजनाये भी प्रारम्भ की गई है।

हरियाणावासियों को, वि ोशकर ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें जुटाने के लिए निरन्तर प्रयार किये गये हैं। विस्तार कार्यक्रम के अधीन चालू वर्श के दौरान आदमपुर में 30 बिस्तरों वाला एक नया जनरल अस्पताल और अमरगढ़ जिला जीन्द में एक सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है। सोनीपत, उकलाना, होडल, खरहर, महम व उपलाना में जनरल अस्पतालों और तिगांव कुरडी व पाबड़ा में सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और रादौर में प्राथमिक स्वास्यि केन्द्र की इमारतों का निर्माण कयर्सा आरम्भ हो चुका है। जनरल अस्पतला अम्बाला, पराम र्ी अस्पताल असन्ध तथा पाली, पिनंगवां झुलानियां, कजलान, बिलढाना, बडोपल, महला, अग्रोहा कोसली, धनसू और मोहम्मदपुर रोही में सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए प्र ाासनिक स्वीकृति पहले ही दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, कैथल के वर्तमान 50 बिस्तारों वाले जनरल अस्पताल में एक और विस्तार ब्लाक जोड़ कर इसे सौ बिस्तारों का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। वर्श 1982–83 में 12 ग्रामीण डिस्पैसरियों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 16 अन्य सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव भी है। इसी वर्श के दौरान 100 उप स्वास्थ्य

केन्द्रों और बावल में पराम र्शी अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य भी भारू किया जायेगा। चालू वर्श के दौरान 7 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य सेवी योजना के अधीन लाया गया है। भोश 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्श 1982—83 में इस योजना के अन्तर्गत लिये जाने का प्रस्ताव है साथ ही, मेरी सरकार चालू पंचवर्शीय योजना के अन्त तक जन्म दर कम करके 30 प्रति हजार तक लाने के उद्दे य से राश्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को, जो कि पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर होगा, सफलतापूर्वक पूरा करने में किसी से पीछे नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए है। चालू वर्श के दौरान 31 दिसम्बर, 1981 तक 155 गांवों में पेय जल सुविधाएं जुटाई गई हैं और इस वर्श में 325 गांव इस कार्यक्र के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना हैं। वर्श 1982—83 के दौरान 225 अनय गांवों में नलों द्वारा जल सप्लाई करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वर्श 1982—83 की वार्शिक योजना में 11.73 करोड़ रूपए की राि ा का उपबन्ध किया गया हैं मेवात क्षेत्र में ग्रामीण जल सप्लाई योजना को तेजी से लागू करने के लिए 30 लाख रूपये की अतिरिक्त राि ा का प्रावधान किया गया है तथा मार्च 1982 के अन्त तक मेवात क्षेत्र के 148 गांवों को इस योजना के अधीन लाने का लक्ष्य है।

मैंने गत वर्श अपने अभिभाशण में सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यक्रम पर प्रका ा डाला था। चालू

वर्श में इस ओर अधिक उत्साह से निरन्तर प्रयत्न किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31—12—81 तक 345 किलोमीटर लम्बी सड़कें पक्की की गई है तथा 5 अतिरिक्त गांवों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ दिया गय है। चालू वित्त वर्श के दौरान विकास की इस गति से लगभग 550 किलोमीटर सड़कों को पक्का यिका जाएगा। खादर क्षेत्र और साहिबी नदी के क्षेत्र में पड़ने वाले कुछ गांवों को छोड़ कर, मैदानी क्षेत्र के 250तथा उससे अधिक आबादी वाले तथा पहाडी क्षेत्र के 150 व उससे अधिक आबादी वाले सभी, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। वर्श 1982—83 में राज्य में 560 किलोमीटर नई सड़कें तथ पुलों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रूपए के उपबन्ध का प्रस्ताव है।

इसके साथ साथ मेरी सरकार ने लोगों को तेज तथा कु ाल सार्वजनिक परिवहन सेवा जुटाने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर वि ोश ध्यान देते हुए हरियाणा परिवहन के बेडे में प्रति वर्श 200 नई बसें बढ़ाई जाती हैं वर्श 1982—83 के अन्त तक हरियाणा राज्य परिवहन के बेडे में 2800 बसें हो जाने की संभावना है। चालू वर्श के दौरान फरीदाबाद में हरियाणा राज्य परिवहन का एक नया डिपो खोला गया है। यमुनानगर, जीन्द पेहोवा और पुण्डरी में नए बस अड्डों का निर्माण काय तेज कर दिया गया है और यह कार्य पूरा ही होने वाला है। गोहाना, लाडवा, बहादुरगढ़, महम, जगाधरी, पलवल, जाखल भट्टूकलां, हिसार, नारनौल, कनीना, नरवाना और सोहना के बस अड्डों का

निर्माण कार्य जारी है। हाल ही में नेत्रहीनों को नि ाफलक यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विकलांगों की कुछ अन्य श्रेणियों को हरियाणा परिवहन की बसों में 50 प्रति ात रियायती किराए की सुविधा भी प्रदान की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मूलभूत सुविधाएं जुटाने तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ साथ ग्रामवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए और भी कई पग उठाए गए हैं तथा पर्यावरण के सुधार पर अधिक बल दिया गया है। औद्योगिक प्रतिश्ठाानों को प्रेरित किया गया है कि ग्रामीण विकास परियोजनाएं जैसे अस्पतालों व स्कूलों का निर्माण गांव की गलिया ं पक्की करना आदि चलाएं। इस समय 4.42 करोड़ रूपये की ऐसी परियोजनांए कार्यान्वित की जा रही है। गांवों को साफ सुथरा रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को भाौचालय की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2000 व इससे अधिक की आबादी वाले गांवों में सामुदायिक भाौचालय निर्माण करने का एक वि ाल कार्यक्रम चलाया गया है। पहले चरण में यह कार्य 275 गांवों में भाुरू किया गया है।

आवास एक अन्य गतिविधि है जिसकी ओर मेरी सरकार का वि ोश ध्यान गया है। वितीय कठिनाइयों और निर्माण सामग्री की कमी के बावजूद मेरी सरकार की इस क्षेत्र में उपलब्धियां सराहनीय और उललखनीय है। राज्य आवास बोर्ड ने अब तक

12524 मकानों का निर्माण किया है, जिसमें से 9661 मकान समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाये गये। चालू वर्श के दौरान बोर्ड ने 2559 मकान आबंटित किए हैं तथा विभिन्न स्थानों पर 4032 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। मेरी सरकार ने राज्य में हरिजनों और आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए ग्रामीण आवास योजना भी चलाई हैं इस योजना के अधीन उन लोगों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्र के अधीन रिहाय ाी प्लाट निः ाुल्क आबंटित किए गए है। प्रत्येक ऐसे मकान पर 5000 रूपये लागत आएगी, जिसे 15 से 25 वर्शो की अवधि में स्थानों पर आरम्भ हो चुका है। वर्श 1982–83 के लिए बोर्ड का लक्ष्य विभिन्न वर्गों के 2500 मकानों का निर्माण पूर्ण करना तथा 5000 अतिरिक्त मकानों के निर्माण का कार्य आरम्भ करना है। वर्श 1982–83 के दौरान हिसार, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल, फरीदाबाद, आदमपुर, पंचकूला, पानीपत, अम्बाला, करनाल, कालका, कुरूक्षेत्र, कैथल, चीका, सोनीपत व जीन्द में नई आवास कालोनियां बनाने का प्रस्ताव है।

राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को दैनिक प्रयोग की विभिन्न आव यक वस्तुएं उपलब्ध करना सुनि ि चत करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और सुधार किया गया है तथा उसे सुदृढ बनाया गया है। इस समय आटा, चावल, मिट्टी का तेल तथा चीनी जैसी नियंत्रित वस्तुओं के वितररण के लिए राज्य भर में 5380 उचित मूल्य की दुकानों का

जाल बिछा हुआ है। इस क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार संघ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 जून, 1981 तक 957 परचून दुकानें खोली जा चुकी हैं और आ ाा है कि 30 जून, 1982 तक 2000 व इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों में ऐसी दुकानें खोल दी जाएंगी। यह सुनि चित करने के लिए कि आव यक वस्तुओं के व्यापारी जमाखोरी और चोर बजारी न करें चालू वर्श में एक सुनियमित अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनियमितता करने वाले व्यापरियों के विरूद्ध 224 मामले दर्ज किए गए तथा 10.20 लाख रूपये का माल जब्त किया गया और 181 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से सीमेंट मिट्टी का तेल डीजल और कोयले का अधिक आबंटन प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए गए है।

चालू वर्श के दौरान अनाज की सरकारी खरीद तेज की गई। राज्य में 11.22 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है जबकि गत वर्श 10.02 लाख टन गेहूं खरीदी गई थी। चालू वर्श में अब तक 7.05 लाख टन चावल खरीदा गया था जबकि गत वर्श इसी अवधि में 4.33 लाख टन चावल खरीदा गया था। आ ाा की जाती है कि इस वर्श कुल आठ लाख टन चावल की खरीद की जायेगी जबकि भारत सरकार द्वाराा राज्य के लिए यह लक्ष्य केवल साल लाख टन रखा गया था।

हरिजनों और पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए कई लाभकारी कार्यक्रम भाुरू किए गये हैं। वर्श 1981–82 एक ऐतिहासिक वर्शरहा जब कि हरियाणा ने राज्य की सभी 5634 हरिजन बस्तियों की गलियों में बिजली लगाने का कार्यक्रम पूरा किया और इस प्रकार दे ा में अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अतिरिक्त 27000 से अधिक हरिजन घरों को काफी रियायती दर पर एक प्वांइट के बिजली के कनैक ान दिए गये। विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोशित की गई लगभग सारी भूमि पात्र व्यक्तियों मं बांट दी गई है। इनमे अधिक व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं और अदालतों में लम्बित कुछ मामलों को छोड कर, भोश सभी लाभानुभोगियों को भूमि के कब्जे भी दे दिय गये है। इस वर्श 'हरिजन बस्तियों में वातावरण सुधार' नामक एक नई योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन हरिजन बस्तियों की गलियों और नालियों को पक्का करने के लिए 30000 रूपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। चालू वर्श के दौरान हरिजन चौपालों के निर्माण पर 35 लाख रूपये की रािा खर्च की जा रही है। इन वर्गों के लोगों को निजी धंधें स्थापित करने में सहायता देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई है। चालू वर्श के दौरान हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने 5800 व्यक्तियों को 1.70 करोड़ रूपए के ऋण दिये हैं। इसी अवधि में हरियाण पिछडे वर्ग कल्याण निगम ने भी 2233 व्यक्तियों को 97.50 लाख रूपए के ऋण वितरित किए हैं।

चालू वर्श के दौरान राज्य के विभिन्न विकास सम्बन्धी विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के माध्यम से वि ोश अंगभूत योजना के अधीन राज्य की कुल 290 करोड़ रूपये की योजना में से 30.41 करोड़ रूपए की रा ि ा अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याण पर खर्च की जायेगी।

मैंने अपने गत वर्श के अभिभाशण में 'हरियाणा पिछडे वर्ग कल्याण निगम' की स्थापना का उल्लेख यिका था जिसके अन्तर्गत पिछडे वर्ग के लोग सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वि ोश सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्श हमने अकिंचन व्यक्तियों के रहन सहन क`स्तर को सुधारने में एक पग और बढ़ाने का नि चय किया है। मेरी सरकार ने 2 करोड़ रूपये की पूंजी से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक नये निगम की स्थापना का निर्णय लिया है ताकि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त, आर्थिक रूप से पिछडे अन्य व्यक्तियों का सर्वागीण विकास और उत्थान किया जा सके। चालू वर्श में 31 लाख रूपये की रा ि ा इस कार्य के लिए दे दी गई है।

चालू वर्श के दौरान निराश्रित महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, दुर्बलों, भाारीरिक रूप से विकलांगों, अपराधवृति वाले बच्चों और भिखारियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की गई है। स्कूल जाने से पूर्व के बच्चो ंको समेकित रूप से अनेक सुविधायें प्रदान करने के लिए राज्य में चालू वर्श तक सघन बाल

विकास योजना की 12 परियोजनाओं स्वीकृत की गई है जिनसे इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 56530 बच्चों, गर्भवती और धाय माताओं को लाभ प्राप्त हो रहा है। लड़कियों और महिलाओं को नैतिक भय से बचाने के लिए एक राजकीय उतर रक्षा गृह की स्थापना की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन 14000 वृद्ध, निराश्रित पुरूशें और महिलाओं को प्रति व्यक्ति 60 रूपये मासिक दर से पैन् ान दी जा रही है। इस योजना को चलाने के लिए वर्श 1982–83 में 78.36 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

हम पहले ही 'अन्तर्राश्ट्रीय विकलांग वर्श' मना चुके हैं जिसके दौरान नेत्रहीन, मुक, बधिर तथा भाारीरिक रूप से अन्य विकलांग व्यक्तियों की वितीय एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की ओर अत्याधिक ध्यान दिया गया है। विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने के हमारे प्रयास में स्वैच्छिक संगठनों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके फलस्वरूप भारत सरकार की उपयुक्त सहायता से रोहतक में मानसिक रूपस से विकृत बच्चों के लिए एक गृह, राई में नेत्रहीन कन्या गृह, पानीपत में नेत्रहीन लड़को के लिए हल्के इंजीनियरिंग सामान का प्रि ाक्षण केन्द्र ओर अम्बाला में आंि ाक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रोजैक्ट पर कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है।

मेरी सरकार भाहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भी वचनबद्ध है। पेयजल पूर्ति, नालियां बिछाने, सड़कें बनाने, गलियों मैं प्रका ा की व्यवस्था करने और मनोरंजन केन्द्रों जसैसी नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कई उपयोगी समसबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिये गये है। चालू वित्त वर्श के दौरान भाहरी जलपूर्ति एंव मल निकास योजनाओं के लिए 2 करोड 27 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। गन्दी बस्तियों के सुधार की योजनाएं चलाने के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं में पहली नवम्बर, 1981 से एक नागरिक सुविधा अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत जन प्रसाधन गृहों का प्रावधान, नालों की मुरम्मत, खुले स्थानों का विकास, उद्यानों इत्यादि में सुधार लाने के लिए जोरदार प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त कस्बों को सुन्दर बनाने के अभियान हेतु 45 लाख रूपये की रा ि ा नगरपालिकाओं को दी गई।

हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रिहाय ाी प्लाटों के आवंटन की एक महत्वकांक्षी योजना बनाई है, जिसके अधीन फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, करनाल, अम्बाला, हिसार, भिवानी, रोहतक तथा अन्य महत्वपूर्ण कस्बों में 5000 रिहाय ाी प्लाट देने का प्रस्ताव है। इन श्रेणियों के व्यक्तियों को 50 वर्ग मीटर के 950 प्लाट पहले ही आवंटित कये जा चुके है। भाहरी भूमि के समाजीकरण के उद्दे य से रिहाय ाी प्लाटों के आवंटन के मामले में विभेदक

मूल्यों की प्रणाली अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जगाधरी, यमुनानगर, सिरसा, पलवल और कैथल में नई भाहरी सम्पदाओं की भीघ्र स्थापना की जा रही है।

हरियाणा पर्यटन निगम ने नई उच्च ि ाखरीय उपलब्धियां प्राप्त की है। राज्य में पर्यटन की सुविधाओं को सुधारने और विस्तृत करने के लिए प्रभाव ाली पग उठाये गये है। दिल्ली में होने वाले एि ायाई खेलों के अवसर पर पर्यटक यातायात की भीड़ को सम्भालने के लिए सूरजकुण्ड में 78 कमरों एवं अन्य सुविधाओं से परिपूर्ण एक मोटेल का निर्माण किया जा रहा है। राजहंस नामक यह मोटेल दे ा के अन्तर्राश्ट्रीय पर्यटन विकास में हरियाणा पर्यटन का एक अनुपम योगदान होगा। अम्बाला, यमुनानगर, कैथल और डबवाली आदि स्थानों पर नये पर्यटक केन्द्र खोले जाने की योजना बनाई गई है। अपने भाानदार कार्य के फलस्वरूप हरियाणा पर्यटन निगम को मई 1981 में कोलम्बों में हुए ट्रैवल एजेंट एसोसिए ान आफ इंडिया सम्मेलन में मैरिट प्रमाण पत्र दिया गया।

चालू वर्श के दौरान राज्य में श्रम स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, जो कि सरकार द्वारा श्रमिक वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने का ही परिणाम हैं। मेरी सरकार श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दरों मेंसं ाोधन के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसके लिये अधिसूचना का प्रारूप पहले ही प्रकाि ात कर दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों का यदि कोई भाोशण किया जाता

है तो उसे रोकने के लिए प्रभाव ाली पग उठाये गये है। श्रमिकों में अपनी व्यावसायिक योग्यता में सुधार लाने की जागरूकता उत्पन्न करने के उद्दे य से वर्श के दौरान फरीदाबार में एक श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार युवकों को राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं से रेजगार के नये अवसर प्राप्त हो रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में भीघ्र ही 34 अतिरिक्त रोजगार कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। यह भी सुनि चत किया जा रहा है कि इन रोजगार कार्यालयों का कार्य क्षेत्र तहसीलों और उप तहसीलों के कार्य क्षेत्रों के अनुसार हो।

हमने कानून और व्यवस्था बनाये रखने को उच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि राज्य के विकास के लिए यह परम आव यक है। यह अत्यन्त सन्तोश का विशय है कि वर्श 1981 के दौरान राजय में कानून और व्यवस्था पूर्ण रूप से नियन्त्रण में रही। गत वर्श 9 नये पुलिस स्टे ान तथा एक पुलिस चौकी स्थापित की गई। इसके साथ ही पुलिस दल को सुदृढ़ करने के पग भी उठाये गये हैं ताकि यह अधिक प्रभाव ाली बन सकें। यहां मैं अपनी सरकार का संकल्प दोहराना चाहूंगा कि हम हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजारे वर्गों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा पग उठायेंगे।

मेरी सरकार भ्रश्टाचार को दूर करने एवं एक स्वच्छ ओर ईमानदार प्र ाासन जुटाने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। अपराधों की द्रुतगामी खोज, भ्रश्टाचार के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही और सामान्य प्र ाासन को सुदृढ करने की दि ाा में उठाये गये विभिन्न पगों से हमने हरियाणा की जनता की प्र ांसा और उनका वि वास अर्जित किया है। चालू वर्श के दौरान 65 भ्रश्टाचार के मामले पुलिस में दर्ज किये गये हैं जिनमें 11 राजपत्रित और 94 अराजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध भ्रश्टाचार के आरोप में विभागीय कार्यवाही की गई है। अनियमितताओं को रोकने में विभिन्न बोर्डों के चौकसी और सुरक्षा संगठनों ने भी अच्छी भूमिका निभाई है।

यह हमारे लिए बड़े सन्तोश का विशय है कि राज्य भर में हमारे कर्मचारियों से कुल मिलाकर संयम एवं कठोर परिश्रम का परिचय दिया। अपनी ओर से राज्य सरकार ने भी सरकारी वर्ग के वेतनमानों एंव भतों में वृद्धि तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के भरसक प्रयत्न किये।

हम भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों की सुरक्षा के लिए अपने वचन के प्रति पूर्णतः सजग है। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको ंके उपलब्ध न होने पर भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों, निःसन्तान विधवाओं या उन विधवाओ ंजिनके बच्चे नाबालिग हैं, को भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए पात्र समझा जायेगा।

हरियाणा राज्य सैनिक बोर्ड के अधीन एक राज्य स्तरीय परियोजना उन्नयन एवं बैकिंग सैल स्थापित किया गया है ताकि स्वतः रोजगार के लिए परियोजनओं की स्थापना में भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों की सहायता की जा सके। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सेनिकों के बच्चों को सामान्य ि ाक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृतियां देने हेतू आय सीमा 400 रूपये प्रतिमास से बढ़ा कर 600 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षित पदों को भरने के जोरदार प्रयास किये जा रहे है।

मेरी सरकार की अनेकों उपलब्धियां, जिनमें से कुछ एक पर मैंने प्रका ा डाला है, को सम्मुख रखते हुए मैं सहज ही यह निश्कर्श निकाल सकता हूं कि मेरी सरकार ने जनता को जीवन के बेहतर अवसर जुटाने के लिए दिये गये अपने वचनों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम किया है। मुझे पूरा वि वास है कि आप सभी के सक्रिय सहयोग से हम सामाजिक समता और आर्थिक समृद्धि के और ऊंचे ि ाखर प्राप्त करने में सफल रहेंगे।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्षः अब मुख्य मंत्री महोदय भाोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय, उपाध्यक्ष महोदय, यहसदन दिनांक 6 अक्तूबर, 1981 को हुए मिस्त्र के

राश्ट्रपति कर्नल मुहम्मद अनबर सादात के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

कर्नल सादात का जन्म दक्षिणी नील डेल्टा के छोटे से गांव में 25 दिसम्बर, 1918 को हुआ था। उनहोंने इजीपि ायन मिलिट्री स्कूल में ि ाक्षा प्राप्त की और 1938 में उन्हें कमी ान मिला। कर्नल सादात कर्नल नासर के साथ भााह फारूक के भाासन के विरूद्ध तथा सुएज नहर क्षेत्र से ब्रिटि ा सेना को निकालने में सक्रिय रहे। उन्हें 1942 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और मिस्त्री सेना से निकाल दिया गया। उन्हें 1945 में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। भााह फारूक का तख्ता उलटने वाले 12 स्वतन्त्र अधिकारियों में कर्नल सादात भी भाामिल थे जिन्होंने क्रान्ति का नेतृत्व किया।

कर्नल सादात कुछ समय तक पत्रकार भी रहे औरइस दौरान उन्होंने अल जम्हूरिया तथा अल तहरीरे पत्रों का सम्पादन किया। वे 1955 तथा 1956 में मिस्त्र सरकार के राज्य मंत्री रहे, 1957 से 1964 तक ने ानल असेम्बली के उपाध्यक्ष तथा 1964 से 1969 तक उसके अध्यक्ष रहे। वे बहुत से राजनैतिक तथा अन्य राश्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी रहे।

कर्नल सादात 1964 से 1966 तथा 1969 से 1970 तक मिस्त्र के उपराश्ट्रपति रहे। वे राश्ट्रपति नासर की मृत्यु के बाद 1970 में मिस्त्र के राश्ट्रपति बनें। 1975 में मिस्त्र तथा इजराइल के

बीच हुए सिनाई समझौते को उनके राश्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बडी उपलब्धि माना जाता है। इस समझौते के अन्तर्गत दोनों दे ा एक दूसरे के विरूद्ध न तो बल प्रयोग करेंगे और न ही बल प्रयोग की धमकी देंगे। इस समझौते को पि चमी एि िया के हाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ समझा जाता है।

उनके निधन से वि व ने एक ऐसे प्रसिद्ध राजनेता को खो दिया है जिसने वि व भाांति तथा भाईचारे के लिए वि ोश कार्य किया। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 2 फरवरी, 1982 को हुए श्री जयसुख लाल हाथी, भूतपूर्व राज्यपाल हरियाणा के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री हाथी का जन्म गुजरात के मुली स्थान पर 19 जनवरी, 1909 को हुआ था। बम्बई में अपनी ि ाक्षा प्राप्त करने के बाद श्री हाथी ने बम्बई हाई कोर्ट में वकालत भाुरू की। कुछ समय के लिएवे राजकोट रियासत में जिला तथा सत्र न्यायाधी ा रहे।

श्री हाथी 1946–47 में संविधान सभा के सदस्य थे। वे 1952 में राज्य सभा के सदस्य बने, 1957 में वे लोक सभा के सदस्य चुने गए और 1962 में पुनः राज्य सभा के सदस्य बने। 1952 में वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सिंचाई तथा बिजली उप मंत्री

बने और 10 वर्श तक इसी पद पर काम किया। उसके बाद वे 1969 तक श्रम तथा रोजगार, सप्लाई, गृह, सुरक्षा सप्लाई, सुरक्षा और श्रम तथ पुनर्वास विभागों के राज्य मंत्री रहे। श्री हाथी राज्य सभा में सताधारी कांग्रेस पार्टी के नेता और सेसद में कांग्रेस पार्टी के उप नेता थे।

श्री हाथी 14 अगस्त, 1976 से 24 सितम्बर, 1977 तक हरियाणा के राज्यपाल और उसके बाद 26 अगस्त, 1981 तक पंजाब के राज्यपाल रहे।

श्री हाथी 1974 में दवाई तथ दवाइयां बनाने की संस्थाओं संबन्धी केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष बने। वे भारतीय विद्या भवन के कार्यों में गहरी रूचि रखते थे और इसकी अन्तर्राश्ट्रीय समिति के अध्यक्ष, मानद कोशाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रहे। श्री हाथी भारतीय बार एसोसिए ान के उप प्रधान थे और कानूनी सहायता संबंधी केन्द्रीय समिति के सदस्य थे। उन्होंने प्लेस आप इण्डियन स्टेट्स इन फैडरे ान पुस्तक लिखी।

उनके निधन से दे ा एक योग्य प्र ाासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 2 फरवरी, 1982 को हुए श्री मोहन लाल सुखाडिया, संसद सदस्य के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया का जन्म जिला उदयपुर के झालावार गांव में 31 जुलाई, 1916 को हुआ था। नाथद्वार में स्कूली ि ाक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1936 में बम्बई चले गये और विक्टोरिया जुबली टेक्नीकल इंस्टीच्यूट से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग मैं डिप्लोमा प्राप्त किया। 23 वर्श की आयु में वे प्रजा मण्डल में भाामिल हो गए और विद्यार्थी तथा श्रमिक आन्दोलन संगठित किए। उन्हें भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लैने पर 1942 मे गिरफतार कर लिया गया और 18 मास के लिए वे जेल में रहे।

श्री सुखाड़िया 1946 में मेवाड़ राज्य में सिविल सप्लाई, लोक निर्माण विभाग, राहत तथा पुनर्वास मंत्री बने, 1948 में राजस्थान के विकास मंत्री, 1951–52 में राजस्थान के सिविल सप्लाई, कृशि तथा सिंचई मंत्री और 1952 से 1954 तक राजस्थान के कृशि, सिंचाई तथा अकाल राहत मंत्री रहे।

आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले श्री मोहन लाल सुखाड़िया 1954 में 38 वर्श की आयु में राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। 17 वर्श के भाासन काल मैं उन्होंने अनेक भूमि सुधार कार्य किए और राज्य को भारत के औद्योगिक मानचित्र पर खड़ा कर दिया। औद्योगिक विकास के अतिरिक्त, उन्होंने कृशि

तथा सिंचाई को भी उतना ही महत्व दिया और राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण से राज्य की मरूभूमि को सिंचित क्षेत्र में बदलने का काम भाुरू किया। वे पंचायती राज लागू करने वाले पहले मुख्य मंत्रियों में से एक थे।

श्री सुखाड़िया ने 1971 में मुख्य मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। वे 1972 में कर्नाटक के राज्यपाल बने और 1975 तक इस पद पर रहे। वे 1976 में आन्ध्र प्रदे ा और 1976–77 में तमिलनाडू के राज्यपाल रहे। श्री सुखाड़िया ने 1977 में सक्रिय राजनीति में पुनः प्रवे ा किया और 1980 में उदयपुर चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए।

श्री सुखाडिया एक अच्छे खिलाड़ी और अनुभवी कृशक थे तथा उन्होंने बहुत सी विदे ा यात्राएं की। उन्होंने आवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉबलम्स नाम की एक पुस्तक लिखी और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विशयों पर अनेक लेख लिखे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 को हुए श्री कार्तिक उरांव, केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

आदिवासी नेता श्री उरांव का जन्म बिहार में रांची जिला के करोडण्डा ग्राम में 29 अक्तूबर, 1924 को हुआ था। उन्होंने रांची साइंस कालेज, बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना, रायल कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी, लण्डन यूनिवर्सिटी से ि ाक्षा प्राप्त की। उन्होंने लिंकन इन से बैरिस्ट्री भी पास की।

श्री उरांव एक मेधावी संरचना इंजीनियर थे। उन्होंने 1950 से 1952 तक बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में सहायक इंजीनियर के रूप में कार्य किया। बाद में वे बिट्रेन चले गए। वहां उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने 1958 से 1961 तक हिंकले प्वाइंट में संसार के उस समय सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र का डिजाइन तैया यिका। भारत लौटने पर वे बिहार की बहुत सी इंजीनियरी निगमों में उप मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) और संरचना डिजाइन के प्रमुख रहे।

श्री उरांव ने अनेक भौक्षणिक तथा सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे योजना आयोग के तथा निर्धन और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बने अन्य बोर्डो के सदस्य रहे।

श्री उरांव केन्द्र तथा राज्य के कांग्रेस संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे 1967 में लोक सभा के सदस्य चुने गए और 1977 तक संसद सदस्य रहे। बाद में वे 1977 से जनवरी,

1980 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। 1980 में वे पुनः लोक सभा के सदस्य चुने गए। पहले वे पर्यटन तथा सिविल विमानन विभागों के केन्द्रीय राज्य मंत्री बने और बाद में संचार मंत्री बने।

उनके निधन से दे ा एक प्रसिद्ध टैक्नॉलोजीविज्ञ, निश्ठावान समाज सेवी तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 12 जनवरी, 1982 को हुए श्री ज्योजिर्मय बसु, संसद सदस्य के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री बसु का जन्म कलकता में 18 दिसम्बर, 1920 को हुआ था। उन्होंने जे.बी. इंस्टीच्यूट तथा बंगवासी कालेज, कलकता में ि ाक्षा प्राप्त की। श्री बसु ने सेना में कमी ान प्राप्त किया और दूसरे वि व युद्ध में एक सैनिक अधिकारी क रूप में कार्य किया। बाद में वे 1952 से 1954 तक 353 हेवी एण्टी एअरक्राफ्ट रेजिमेण्ट तथा 353 फील्ड रेजिमेण्ट रायल आरटिलरी, लण्डन में बैटरी कैप्टन के पद पर रहे। उसके बाद श्री बसु ने त्यागपत्र दे दिया और 1959 तक यूरोप तथा भारत में ब्रिटि ा फर्मों में टी–टेस्टर, कर निर्धारक तथा मूल्य निर्धारक और प्रवर श्रेणी के ि ाश्टाचार अधिकारी के रूप में काम किया।

अपनी सेवा के दौरान श्री बसु 1952 में ब्रिटि ा कम्युनिस्ट पार्टी और 1955 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सम्पर्क में आए। श्री बसु 1967 में लोक सभा के सदस्य चुने गए और मृत्यु होने तक, 1979 में लोक सभा भंग हो जाने पर थोड़ा समय छोड़ कर लोक सभा के सदस्य रहे। श्री बसु 1973 से 1975 तक संसद की सार्वजनिक लेखा समिति के और 1977 में सार्वजनिक प्रतिश्ठान समिति के अध्यक्ष रहे। वे लोक सभा में 1971 ये मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) रहे।

श्री बसु भारत सोवियत मंत्री संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अनेक ट्रेड यूनियन संगठनों में अनेक पदों पर काम किया और अनेक बार गिरफ्तार हुए तथा जेल गए।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 27 दिसम्बर, 1981 को हुए श्री हरिप्रसाद मूल ांकर त्रिवेदी के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री त्रिवेदी का जन्म अहमदाबाद में 8 मार्च, 1914 को हुआ था। उन्होंने अपनी ि ाक्षा अहमदाबाद, बम्बई तथा लण्डन में प्राप्त की और बी.एस.सी. व बार.एट.ला. पास यिका। जहाजरीन वि ोशज्ञ होने के नाते, वे 1942–43 मे ंबम्बई ि ाप रिपेयर एण्ड

ि ाप बिल्डिंग पेनल के सचिव और 1949 मे ंभारत की ओर से संयुक्त राश्ट्र परिवहन तथासंचार आयोग के प्रतिनिधि बने। 1949 मे वे अन्तर्राश्ट्रीय श्रम संगठन, जनीवा मे ंभारतीय नियोजक प्रतिनिधिमण्डल के एडवोकेट बन कर गए और 1952 में वे भारतीय राश्ट्रीय स्टीमि ाप संघ से सम्बद्ध श्रम कल्याण अधिकारियों की अखिल भारतीय परिशद् के सदस्य थे। वे 1960 में भारत सरकार की मध्यम गोदी विकास समिति के सदस्य रहे। वे 1967, 1969 तथा 1971 में बम्बई गोदी न्यास के निर्वाचित ट्रस्टी रहे और 1967 में भारतीय व्यापार चैम्बर समिति के सदस्य रहे। श्री त्रिवेदी 1968 में देना बैंक लिमिटेड के निदे ाक नियुक्त हुए ओर सितम्बर, 1969 में राश्ट्रीय जहाजरानी मण्डल के नामांकित सदस्य बने। उन्होंने अनेक संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

श्री त्रिवेदी 1972 मे ंराज्य सभा के लिए चुने गए और 1974 से 1977 तक जहाजरानी तथा परिवहन विभागों के केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से दे ा एक जहाजरानी वि ोशज्ञ तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 26 जनवरी, 1982 को हुए श्री मुन्दर भार्मा, संसद सदस्य के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मुन्दर भार्मा का जन्म बिहार में जिला सीवां के बसन्तपुर तालुक के मघर थान में 15 मार्च, 1922 को हुआ था। उन्होंने अपनी ि ाक्षा बिहार मैं बसन्तपुर हाई स्कूल, राजपूत स्कीू तथा राजेन्द्रा कालेज, छपरा में प्राप्त की। वे पे ो से कृशक तथा पत्रकार थे। श्री भार्मा ने 1942 के भारत छोड़ा आन्दोलन में भाग लिया और 18 मास भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। वे जबलपुर से प्रकाि ात होने वाले मुख्य हिन्दी दैनिक समाचार पत्र 'नवीन दुनिया' के मुख्य सम्पादक और प्रबन्ध निदे ाक रहे। वे जिला पत्रकार संघ, जबलपुर के अध्यक्ष, अखिल भारतीय लघु तथा मध्यम समाचार पत्र संघ के उपाध्यक्ष तथा कई वर्शों के लिए अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलनकी स्थापी समिति के सदस्य रहे।

श्री भार्मा 20 अप्रैल, 1979 को नगर निगर, जबलपुर के मेअर चुने गए। वे मध्य प्रदे ा कांग्रैस कार्यकारी समिति के सदस्य और मृत्यु होने तक राज्य कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। श्री भार्मा 1980 में जबलपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुने गए।

उनके निधन से दे ा एक म ाहूर पत्रकार तथा प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन

दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 5 अक्तूबर, 1981 को हुए श्री भगवतीचरण वर्मा, सदस्य, राज्य सभा के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री वर्मा का जन्म उत्तर प्रदे ा में उनाव जिले के सफीपुर गांव में 30 अगस्त, 1903 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद वि वविद्यालय से बी.ए., एल.एल.बी. पास किया।

श्री वर्मा बहुत बड़े लेखक और उच्च कोटि के कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्होंनै कोमल भावों में छायावादी कविता की रचना की और निबन्ध तथा हास्य लेख लिखे। चित्र लेखा तथा भूले बिसरे चित्र उपन्यासों से उन्हें प्रसिद्धि मिली। हाल ही में उन्होंने एक अन्य पुस्तक की रचना की थी जिसका मुख्य पात्र चाणक्य था। उन्होंने 1937 में फिल्मों में कहानी लेखक के रूप में प्रवे ा किया। कलकता से उन्होंने विचार साप्ताहिक पत्र का आरम्भ किया और बाद में लखनऊ से छपने वाले दैनिक हिन्दी समाचार पत्र नवजीवन के मुख्य सम्पादक रहे।

श्री वर्मा 1950 से 1957 तक आका ावाणी में हिन्दी सलाहकार रहे। हिन्दी साहित्य की सेवा के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, फिर

1971–72 में पद्म भूशण की उपाधी मिली। वे 1978 में राज्य सभा के लिए मनोनीत किए गए।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख विद्वान तथा सांसद की सेवाओकं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 को हुए ख्वाजा मुबारक भााह, संसद सदस्य के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मुबारक भााह का जन्म जम्मू व क मीर के बारमूला स्थान पर 1 अगस्त, 1922 को हुआ था। उन्होंने अपनी ि ाक्षा श्रीनगर लाहौर तथा अलीगढ़ में प्राप्त की और बी.ए. एल.एल.बी. पास किया। वे पे ो से एक कृशक तथा वकील थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया और 1945 से 1957 तक बन्दी रहे।

श्री मुबारह भााह गांधी भाांति प्रतिश्ठान तथा श्री जय प्रका ा नारायण के मार्गद र्ान के क मीर समस्या को सुलझाने हेतु भारत और पकिस्तान के बीच मैत्रीभाव पैदा करने के लिए सक्रिय रहे। वे 1950 में जम्मू व क मीर संविधान सभा के सदस्य बने। 1950 से 1953 तक वे जम्मू व क मीर के वित्त तथा सहकारिता मंत्री रहे। वे पहले 1956 में और फिर 1973 से 1976

के दौरान जम्मू व क मीर विधान सभा के सदस्य बने। 1972 से 1975 तक वे राज्य के कृशि, राजस्व, स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत मंत्री रहे। उन्होंने 1976 में सूडान में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। श्री मुबारक भााह 1978 में राज्य सभा के सदस्य बने और 1980 में लोक सभा के लिए चुने गए।

श्री मुबारक भााह ने राज्य के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक द ाा सुधारने के लिए बहुत रूचि ली और उन्होंने निर्धन बाल भवनों, स्कूल तथा महिला कल्याण केन्द्रों की स्थापना की। वे सहकारी आन्दोलन तथा कृशि को विकसित करने के लिए चुने गए।

श्री मुबारक भााह ने राज्य के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक द ाा सुधारने के लिए बहुत रूचि ली और उन्होंने निर्धन बाल भवनों, स्कूल तथा महिला कल्याण केन्द्रों की स्थापना की। वे सहकारी आन्दोलन तथा कृशि को विकसित करने में भी रूचि लेते थे।

उनके निधन से दे ा एक निश्ठावान समाज सेवी तथा अनुभवी सांसद से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 4 अक्तूबर, 1981 को हएु श्री लहरी सिंह, भूतपूर्व लोक सभा सदस्य के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री लहरी सिंह का जन्म जिला सोनीपत के गांव भगान में 3 मार्च, 1901 को हुआ था। उन्होंने हिन्दू कालेज दिल्ली, रामजस कालेज दिल्ली तथा लॉ कालेज, लाहौर में ि ाक्षा प्राप्त की और बी.ए., एल.एल.बी. पास किया। श्री लहरी सिंह वकील होते हुए 1937 से 1961 तक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। वे 1946 से 1961 तक, सिवाय उस अवधि के जब पंजाब में 1951–52 में राश्ट्रपति भाासन लागू था, पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वे 1946 से 1955 तक पंजाब मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे। भाखड़ा बांध के निर्माण के समय वे सिंचाई तथा बिजली मंत्री थे। श्री लहरी सिंह 1962 से 1967 तक लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री लहरी सिंह ि ाक्षा के प्रसार तथा हरिजनों और पिछड़े लोगों के उत्थान में वि ोश रूचि लैते थे।

उनके निधन से दे ा किसानों के हितैशी तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 19 अक्तूबर, 1981 को हुए श्रीमति स्वराज वती नेहरू, भूतपूर्व संसद सदस्या के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्रीमति स्वराज वती नेहरू का जन्मू लखनऊ में अक्तुबर 1897 को हुआ था। उन्होंने राजकीय हाई स्कूल, अलीगढ़ में ि ाक्षा प्राप्त की। उन्होंने उतर प्रदे ा कांग्रेस पार्टी में कई उच्च पदों पर कार्य किया। श्रीमति नेहरू एक प्रसिद्ध स्वतन्.ता सेनानी थी और उन्होंने 1939 तथा 1942 में डेढ़ वर्श तक कारागार की यातनाएं सही। वे 1955 के उप चुनाव में लखनऊ से लोक सभा की सदस्या चुनी गई और 1957 से 1978 तक उत्तर प्रदे ा विधान परिशद् की सदस्या रही।

श्रीमि नेहरू अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय ि ा ाु कल्याण परिशद और बहुत सी अन्य सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख सदस्या थी।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी तथा निश्ठावान समाज सेविका से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 13 दिसम्बर, 1981 को हुए न्यायमूर्ति भूपेन्द्र सिंह ढिलों के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

जस्टिस ढिलों का जन्म जिला फरीदकोट के गांव घोलिया खुर्द में 20 जनवरी, 1931 को हुआ था। उन्होंने लायलपुर (अब पाकिस्तान में) से मैट्रिक पास किया। ब्रजेन्द्र कालेज, फरीदकोट से बी.ए. और अलीगढ़ वि ववविद्यालय से राजनीति भाास्त्र में एम.ए. पास किया। अलीगढ़ से ही उन्होंने एल.एल.बी. में प्रथम श्रेणी लेकर वि ववविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 30–10–1955 को उनका नाम पैप्सू हाई कोर्ट, पटियाला की सूचि में प्लीडर और 3 मार्च, 1959 को पंजाब राज्य की चण्डीगढ़ स्थित हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में दर्ज किया गया। जस्टिस ढिलों ने 1961 तक फरीदकोट में और उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट में वकालत की। वे 3–8–1967 को पंजाब के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल और 7–3–1969 को एडवोकेट जनरल बने।

जस्टिस ढिलों 6–2–1970 को पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए और 20–4–1972 को स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस ढिलों छोटी उम्र में नियुक्त होने वाले उन तीन जजों में से एक थे जिनको दे ा के उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया था।

जस्टिस ढिलों ने हाई कोर्ट के जज बनने स पूर्व सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रों में अनेक पदों पर कार्य किया। वे अनेक भौक्षणिक, सामाजिक तथा कानूनी संगठनों से सम्बद्ध थे। वे विदे ाी मुद्रा संरक्षण तथा स्मग्लिंग निरोधी अधिनियम के अधीन

पंजाब राज्य द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष रहे और पंजाब राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे।

उनके निधन से दे ा एक प्रसिद्ध न्यायविद से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 6 जनवरी, 1982 को हुए नवाब अहमद सईद खां, कुलाधिपति, अलीगढ़ मुस्लिम वि ववविद्यालय के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

नवाब अहमद सईद खां का जन्म जिला मेरठ मे बागपत के स्थान पर 11 जून, 1889 को हुआ था। मूलतः वे बुलन्द ाहर के राजपूत परिवार में से थे। उन्होंने कालजियेट स्कूल, अलीगढ़ में ि ाक्षा प्राप्त की।

नवाब अहमद सईद खां 1910 में आनरेरी बैंच मजिस्ट्रेट और 1911 में स्पै ाल मैजिस्ट्रेट बने। उन्हें 1913 में नवाब और 1919 में मैम्बर ऑफ ब्रिटि ा एम्पायर की पदवी मिली। उन्होंने 1946 में ये दोनों पदवियां त्याग दी। वे 1920 और 1923 में बुलन्द भाहर हल्के से संयुक्त प्रान्त विधान परिशद के सदस्य चुने गए। वे ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटि ा भाासनकाल में संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल बने। वे नवाब उस्मान अली खां के भाासन काल में हैदराबाद रियासत के प्रधान मंत्री रहे। 1923–25 में वे संयुक्त प्रान्त के उ़द्योग मंत्री रहे। वे राज्यपाल परिशद के (गृह)

सदस्य थे। 1947 तक लगभग एक चौथाई सदी तक उन्होंने प्रदे ा की रजनीति में बढ़ चढ कर हिस्सा लिया। वे एक उदार राज नेता थे और उन्होंने ने ानल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी में सक्रिय भाग लिया। कांग्रेस के सता में आने के फौरन बाद, वे विधान सभा में विपक्ष के नेता बने। नवाब छतारी जून 1950 में अलीगढ़ मुस्लिम वि ववविद्यालय के प्रति कुलपति और 1965 में उसके कुलाधिपति बने।

उनके निधन से दे ा एक ि ाक्षाविद् तथा प्रसिद्ध राजनेता से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नवाब के भााक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 25 फरवरी, 1982 को हुए राव महाबीर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा के दु:खद निधन पर गहरा भााक प्रकट करता है।

राव महावीर सिंह का जन्म तहसील रेवाड़ी के भूढ़पूर गांव में 5 फरवरी, 1927 को हुआ थ। उन्होंने रेवाड़ी तथा गुड़गांव में ि ाक्षा प्राप्त की। वे गुड़गांव की खण्ड समिति के अध्यक्ष, जिला परिशद् के उपाध्यक्ष, मार्किट कमेटी के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदे ाक रहे।

राव महाबीर सिंह अनेक सामाजिक तथा ि ाक्षा संगठनों से सम्बद्ध थे। उन्होंने अलग अलग गांवों में अनके

हरिजन चौपालें बनवाई। वे कमला नेहरू कालेज, हेली मण्डी (जटौली) और सिधरावली कालेज के संस्थापक थे।

राव महावीर सिंह पे ो से कृशक थे। वे सोहना चुनाव क्षेत्र से पहले 1967 में और फिर 1968 क मध्यावधि चुनाव मे गुड़गांव से हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 6 जून, 1968 से 19 सितम्बर, 1968 तक विकास तथा पंचायत, सहकारिता और कारावास विभागों के मंत्री रहे। उसके बाद 4 अप्रैल, 1970 से 14 मार्च, 1972 तक परिवहन, प ा पालन, डेरी विकास तथा मछली पालन विभागों के मंत्री रहे। 1972 में वे गुड़गांव चुनाव क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए और 1977 तक इसके सदस्य रहे।

उनके निधन से दे ा एक प्रसिद्ध समाज सेवक तथा अनुभवी विधायक से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 27 अक्तूबर, 1981 को हुए बाबा हरनाम सिंह, भूतपूर्व राज्य मंत्री, पंजाब के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

बाबा हरनाम सिंह का जन्म 10 जून, 1915 को हुआ था। उन्होंने सिक्ष ने ानल कालेज लाहौर से बी.ए. किया। वे पे ो से कृशक थे और जिला कपूरथला में, जहां वे विभाजन के

बाद आबाद हो गये थे, बहुत लोकप्रिय थे। वे 1954 में 1950 तक पैप्सू विधान सभा के सदस्य रहे और 1957, 1962 और फिर 1969 के मध्यावधि चुनाव में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 5–6–1970 से 14–6–1971 तक वन, वन्यजीव सुरक्षा तथा सैनिक कल्याण विभागों के मंत्री रहे। वे कई वर्शों तक सिख गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी विधायक से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 को हुए, चौधरी अमर सिंह, भूतपूर्व उपमंत्री, पंजाब के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

चौधरी अमर सिंह का जन्म जिला होि ायारपुर के गांव जलवाड़ा में 27 अप्रैल, 1902 को हुआ था। उन्होंने स्वंतत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया, 1940 में निजी सत्याग्रह किया और उन्हें डेढ़ वर्श कठोर कैद तथा पांच सौ रूपए जुर्माना की सजा हुई। फिर वे भारत छोड़ो आन्दोलन में भााामिल हुए और अगस्त 1942 से 1944 तक बंदी रहे।

चौधरी अमर सिंह पंजाब प्रदे ा कांग्रेस समिति के महासचिव तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। वे 1955 के उप चुनाव में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए और

23—44—1956 से 31—3—1957 तक सिंचाई, सहकारिता तथा पंचायत विभागों के उप मंत्री रहे। वे 30—4—1962 से 26—4—1968 तक पंजाब विधान परिशद् के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 22 फरवरी, 1982 को हुए उर्दू भाायर श्री जो ा मलीहाबादी के दुःखद निधन पर भाोक प्रकट करता है।

जो ा उपनाम से प्रसिद्ध श्री भाबीर हसन खां का जन्म उत्तर प्रदे ा में मलीहाबाद स्थान पर 5 दिसम्बर, 1898 को हुआ था। उन्होंने ही उर्दू और फारसी पढ़ी और सीतापुर स्कूल, लखनऊ में स्कूली ि ाक्षा प्राप्त की। बाद में वे जुबली स्कूल तथा सेंट पीटर स्कूल, आगरा में पढ़े और सीनियर कैम्ब्रेज डिप्लोमा प्राप्त किया।

श्री जो ा ने 9 वर्श की छोटी आयु से ही कविता लिखनी भाुरू कर दी थी। वे प्रतिभावन भाायर थे। उन्होंने नजम और गजल दोनों हीह दक्षतापूर्वक लिखी किन्तु अपनी क्रान्तिकारी, दे ा प्रेम तथा बस्तीवाद विरोधी भावनाओं को प्रकट करने के लिए उन्होंने नजम को ही माध्यम बनाया। स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर दे ा को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के

लिए उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सौदागरों से और ि ाकस्ते जिंदा का ख्वाब जैस जो ाीली नजमें लिखकर भारतीयों में चेतना पैदा की। उन्हें भााायर ए इनकलाब (क्रान्ति के कवि) तथा भााायर ए भाबाव (युवा तथा सुन्दरता के कवि) के खिताब मिले। गांधी जी की मृत्यु पर लिख मरसिया उर्दू कविता का अद्वितीय नमूना माना जाता है।

श्री जो ा गद्य लिखने के भी माहिर थे। रूहे अदब तथा यादों की बारात उनकी गद्य कृतियां बहुत म ाहूर हैं। उन्होंने 15 से भी अधिक पुस्तकें लिखी।

श्री जो ा भारत सरकार के प्रका ान विभाग में कुछ समय के लिए अध्यक्ष रहे और उर्दू पत्रिका आज कल के सम्पादक रहे।

1956 में पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने कुछ समय बम्बई में रह कर फिल्मी गाने लिखे। पाकिस्तान में उर्दू विकास बोर्ड के अदबी सलाहकार रहे।

उनके निधन से साहित्य जगत एक प्रगति ाील भााायर तथा लेखक से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत भााायर के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 3 मार्च, 1982 को हुए श्री रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री फिराक गोरखपुरी का जन्म उत्तर प्रदे ा में गोरखपुर नगर के एक अदबी परिवार में 28 अगस्त, 1896 को हुआ था और भाायरी उन्हें सहज रूप से अपने परिवार से विरासत में मिली। परम्परागत ि ाक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1918 में इलाहाबाद वि वविद्यालय से बी.ए. पास किया। दो साल बाद वे भारतीय सिविल सेवा में चुने गए। उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 1920 में उन्होंने आगरा वि वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए. पास किया और इलाहाबाद वि वविद्यालय में प्राध्यापक बने। अंग्रेजी के ि ाक्षक होते हुए ही फिराक साहब ने उर्दू भाायरी भाुरू की। उन पर हिन्दू द र्ान का बहुत प्रभाव था। वे अग्रेंजी को ही एक मात्र ऐसा माध्यम मानते थे जो भारतीयों को वि व के करीब ला सकती है।

मीर तकी मीर तथा मिर्जा गालिब के बाद फिराक को कुछ लोग उर्दू का चोटी का भाायर मानते हैं। फिरका रूबाई लिखने के माहिर थे। उनके विचार में दुनिया की ऊंची से ऊंची जानकारी पा लेना ही कविता है और उन्होंने आधी सदी तक अपनी गजलों तथा नजमों में उसी विचार को द ार्ाया। जिन्दगी का यह फलसफा उनके काव्य संग्रह गुल ए नगमा की 90 नजमों

में संजोया गया है। इसी किताब पर उन्हें 1969 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी 350 रूबाइयों का संकलन रूप 1947 में प्रकाि ात हुआ जिससे उन्हें वि ोश प्रसिद्धी मिली। उनकी रूमानी कविता मानवीय गुणों से ओत प्रोत थी। वे इस युग के कवियों की नई पीढ़ी के प्रेरणा स्त्रोत थे।

फिराक साहब स्वराज भवन, इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिवालय में कार्यालय अध्यक्ष भी रहे। उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1968 में उन्हे पद्म भूशण की उपाधि मिली, 1969 में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्रदान किया गया और दिसम्बर 1981 में उन्हें मोदी गालिब इनाम मिला।

उनके निधन से साहित्य जगत आधुनिक समय के एक ऐसे महान् भाायर और भारत के महान् सपूत से वंचित हो गया है जो हमारी समग्र संस्कृति के प्रतिनिधि थे। यह सदन दिवंगत भाायर के परिवार और असंख्य प्र ांसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन दिनांक 6 मार्च, 1982 को हुएश्री रामचन्द्र का ीनाथ महाल्गी, संसद सदस्य के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री महाल्गी का जन्म महाराश्ट्र में जिला पुणे के काटुस गांव में 9 जुलाई, 1921 को हुआ था। उन्होंने बम्बई तथ

पुणे वि वविद्यालय में ि ाक्षा प्राप्त की और एम.ए.एल.एल.बी. पास यिका। वे 1950 में विद्यार्थी परिशद् के प्रान्तीय सचिव थे। श्री महाल्गी पुणे में वकालत करते थे और 1955–56 मं पुणे जिला बार एसोसिए ान के उपाध्यक्ष रहे। वे 1962 में राश्ट्रीय सुरक्षा समिति, पुणे के सचिव रहे।

श्री महाल्गी राश्ट्रीय स्वंय सेवक संघ, जन संघ, जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध थे। वे 1957 से 1960 तक बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे और 1960 से 1962 तथा 1967 से 1977 तक महाराश्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। महाराश्ट्र विधान सभा में वे जन संघ विधायक दल के नेता भी रहे। वे 1975 में महाराश्ट्र विधान सभा की सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष थे।

श्री महाल्गी 1977 में छठी लोक सभा के सदस्य चुने गए और 1979 तक इसके सदस्य रहे। वे 1980 में पुनः लोक सभा के लिए चुने गए और मृत्यु होन तक इसके सदस्य रहे। वे लोकसभा की सर्वाजनिक लेखा समिति तथा नियम समिति के सदस्य थे और संसद सदस्यों के वेतन व भत्तों की संयुक्त समिति के सदस्य भी रहे।

श्री महाल्गी महाराश्ट्र में काम कर रही सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं और संगठनों से सम्बद्ध थे।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भााक संतप्ते परिवार के प्रति हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन सर्वश्री सुरे ा चन्द्र देव, महन्त भयाम सुन्दर दास, आचार्य बीरबल सिंह, सुमत प्रसाद जैन, पी. काक्कन, एस. सी. बसरा, रघुनाथ सिंह, डा. जी.एस. मालकोटे तथा नवल कि ाोर सिन्हा, भूतपूर्व संसद सदस्यों मोती लाल पंडित, भूतपूर्व सदस्य संविधान सभा, रमे ा चन्द्र सेहारिया, राजस्व तथा सप्लाई मंत्री आसाम, एजी खेर भूतपूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदे ा मुकन्दी लाल, भूतपूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा, उत्तर प्रदे ा, धर्मचन्द्र मिश्र सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदे ा अब्दुल गनी खां तथा गुलाम मुहम्मद भुंटू, सदस्य विधान सभा, जम्मू व क मीर, कुमार कालिका सिंह, सदस्य विधान सभा, बिहार भाई जोध सिंह तथा हसं राज कपूर, भूतपूर्व सदस्य, विधान परिशद पंजाब, सज्जन सिंह नारंगवाल, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, पंजाब तथा पालडेन थोडुप नामग्याल, भूतर्पूव चोग्याल, सिक्मिम के दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं और उनके भाोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पकीर साहब, 6 महीने पहले सितम्बर में भौसन हुआ था उसके बाद हमारे दे ा में और दे ा से बाहर भी कुछ महानुभावों का निधन हुआ। उनके निधन पर लीडर दि हाउस ने जो भाोक प्रस्ताव पे ा किया है मैं उसका

समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। डिप्टी स्पकीर साहब, आप देखेंगे कि इन 40 महानुभावों मे से 10 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए कुर्बानिया दी। इनमें से कईयों के जीवन के बारे में तो लीडर आफ दि हाउस ने यहां विस्तार से वर्णन किया है। और कुछेक के नाम ले दिये है। इनमें श्री हसं राज कपूर श्री एजी खेर भूतर्पूव अध्यक्ष उत्तर प्रदे ा विधान सभा के नाम भी भाामिल है जिनका मेरे से परिचय था। इनके अलावा श्री जय सुखलाल हाथी, श्री सुमद प्र ााद जैन, डा0 जीएस मलकोटे तथा और भी कई स्वतंत्रता सेनानी है। डिप्टी स्पकीर साहब, वैसे तो 40 महानुभावों के अलावा और भी कितने महानुभाव है जो इनसे कम भी रहे और इन जैसे भी रहे, वे हम से हमे ाा के लिए जुदा हो गये है। इनके जुदा होने परप हम सब को बडा भारी अफसोस है। खासकर इसलिये कि जो लोग हमसे बिछडते चले जाते है। उन्होनें अपने अपने जीवन काल में अपने राश्ट्र की अपने प्रदे ा की और अपने समाज की सेवाएं की है। वे हमसे जुदा हो गये है और उनके जुदा होने पर जो हम बचे हैं हमें उनके जीवन चरित्र से सबक सीखना चाहिए। लीडर आफ दि हाउस ने रस्मी तौर पर प्रस्ताव पे ा कर दिया मगर हमारा कर्तव्य है कि हम उनके निधन पर उनके जीवन से सबक सीखें और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना भी प्रकट रकें। प्र न यह है कि उनके निधन पर जो जगह खाली हुई है उनकी जगह लेने के लिये हम क्या करते हैं। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हर सै ान में लीडर आफ दि हाउस ऐसा करते हैं। मुझे

यह कहते हुए अफसोस हे कि हर सै ान में लीडर आफ दि हाउस ऐसा **16.00 बजे** प्रस्ताव पे ा करते हैं और उस पर मैं भी बोलता हूं। डा0 मंगल जैन जी भी बोलते हैं तथा दूसरे और साथी भी बोलते है। लेकिन प्र न यह है कि दिन–प्रति दिन हमारे दे ा में मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो निस्वार्थ और इंटैगरिटी वाले लोग जा रहे है उनकी कमी पूरी करने के लिये हम क्या कर रहे है। यह मौका ऐसा नहीं कि मैं किसी भी नुक्ताचीनी करूं। इस हमाम में कमोवे ा हम सब नंगे है। ऐसी बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी के बारे में हमें ज्यादा कह लें और अपने आप को कम कह लें। इन नेताओं से पहले और भी बडे बडे नेता चले गये उन पर हम सब गौरव करते हैं लेकिन प्र न यह है कि आया कोई हमारे नाम पर भी गौरव करेगा। 4 जनवरी 1982 के इंडियन एक्सप्रैस में बर्तानियां के फिलास्फी की लैक्चर्र डैविड सो बार्न का एक आर्टिकल निकला जिसके अन्दर उन्होंने अपने आप से प्र न पूछे है और अपने आप ही उनकी जवाब दिया है। मैं नहीं जानता कि हाउस के किसी सदस्य ने उस आर्टिकल को पढा है यह नही। अगर नहीं पढा है तो मेरे पास उस आर्टिकल की कटिंग है। कोई सदस्य पढना चाहे तो मेरे से ले सकता है। वह इंगलैंड में फिलास्फी के प्रौफेसर है। वह कहते है कि उनकी हिन्दुस्तान से बहुत प्यार है। उन्होंने उस आर्टिकल में यह भी कहा है कि मैं हिन्दुस्तान में कुछ दिनों के अन्दर एक आर्डिनेंस जारी होगा कि सत्य कोई न बोले। मैं उस आर्टिकल के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ उसका हवाला दे रहा हूं। उन्होंने

आर्टिकल में यह भी लिखा है कि उनको हिन्दुस्तान के लोगों से बहुत प्यार है और भारतीय द र्न से प्यार है। लेकिन आज क्या हो गया है इस दे ा के हाकिमों और लोगों को कहां महात्मा गांधी और कहां ये आज के गांधी। यह तो मैंने पासिंग रैंफरैंस में हवाला दिया है। मेरे रूलिंग पार्टी के भाई इस बात को महसूस न करे। मैंने भी अपने आपको इसमें भाामिल किया ळें जो लोग हमसे जुदा हुए हैं वे एक म ाल जलती छोड गये है। उस म ाल को पकडने वाले अब कौन हैं। इस मौके पर जिन महानुभावों के बिछडुने पर लीडर आफ दि हाउस भाोक प्रस्ताव पढते है तो हमें भी अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिए कि हम कहां खडे है। अभी लीडर आफ दि हाउस ने जिन नेतागण के बारे में भाोक प्रस्ताव पढा उसमें से कईयों के साथ मेरा निजी सम्बन्ध रहा है। श्री जयसुखलाल हाथी हरियाणा के गवर्नर रहे है। मेरा उनसे बहुत नजदीकी सम्बन्ध रहा है और मेरे ख्याल में हाउस के सभी सदस्यों का उनसे सम्बन्ध रहा है। वे पंजाब के गवर्नर भी रहे। गवर्नर बनने से पहले 1957 से 1962 तक पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे है। उस समय मैं भी उनके साथ ही पार्लियामेंट का सदस्य रहा हूं। उनसे मेरे बहुत नजदीकी सम्बन्ध रहे है। वे वास्तव में एक पूर्ण इन्सान थे। उनकी नम्रता और गुणों को देखते हुए वे पूर्ण इन्सान थे। उनकी नम्रता और गुणों को देखते हुए मैं क्या कहूं। आज हमारे अन्दर उनके मुकाबले में गुण बहुत थोडे है और अंहकार का कोई ठिकाना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं हमें अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिए ताकि इस भाोक प्रस्ताव से

कुछ सबक हासिल कर सकें। श्री जयसुखलाल हाथी भारतीय विदया भवन के बहुत बडे कार्यकर्ता थे। वे अचानक हमसे जुदा हो गये। इसी प्रकार श्री मोहन लाल सुखाडिया केवल ससंद सदस्य ही नहीं रहे बल्कि फ्रीडम फाइटर भी रहे। इस भाोक प्रस्ताव में यह कहने की आव यकता नहीं हैकि इनमें से कुछ कांग्रेसी थे और कुछ कांग्रेसी नहीं थे। जो कांग्रेसी थे वे भी बहुत उंचे इन्सान थे और जो नहीं थे वे भी बहुत उंचे इन्सान थे। हम सब की कद्र करते हैं श्री ज्योतिर्मय बसु 1973–74 में करनाल आए थे। उस समय मैंने उनसे बंगाल स्टेट के हालात पूछे। वे कहने लगे कि जैन साहब मैं हरियाणा के अन्दर अपने आपको सेफ महसूस करता हूं यदि मैं अपने प्रवे ा में होता तो अपने ही सेफ नहीं समझता। उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ भांकर रे थे। श्री लहरी सिंह भूतर्पूव मंत्री व संसद सदस्य से दूसरे माननीय सदस्यों का सीधा सम्बन्ध रहा है। वे 1946 से 1955 तक पंजाब मंत्रीमंडल में मंत्री रहे और 1962 से 1967 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे। उनकी लाइफ बडी कलीन थी। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रे ान भी बडी कलीन थी कि उन्होंने कुछ गुउएं रख कर एक डेरी खोल कर अपना गुजारा किया। वे उंचे दर्जे के वकील भी थे। छह साल तक पार्लियामेंट के सदस्य रहे और कितने ही सालों तक असैम्बली के सदस्य भी रहे लेकिन उनकी लाइफ बहुत कलीन थी। हम कितने ही लोगों पर यह आरोप लगा सकते है कि हमने कई कई लाख रूपये कमा लिए लेकिन वे बहुत साफ आदमी थे। राव महाबीर सिंह बहुत उंचे इंसान थे। उनके निधन पर मैं इस भाोक

प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जस्टिस ढिलों से मेरा बहुत गहरा सीधा सम्बन्ध था। जब 1965–66 में हरियाणा और पंजाब सूबा अलग अलग बनाने का प्र न पैदा हुआ तो उस समय पंजाब के भाई चाहते थे कि पंजाब सूबा अलग बने और हरियाणा में भी यह लहर उठी कि हरियाणा सूबा अलग बने। उस समय हरियााणा में आल पार्टी एक ान कमेटी बनी थी। चौधरी देवीलाल जी उस कमेटी के प्रधान थे और उस कमेटी का जनरल सैक्रेटरी था। उस कपैसिटी में जस्टिस ढिलों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वे कितने नम्र थे। जज बनने के बाद भी उसी प्रकार नम्र रहे। मुझे उनके निधन से बहुत दुख है। चौधरी अमर सिंह बहुत सालों तक हमारे साथ रहे और मुझे जेल में भी उनके साथ रहने का मौका मिला। पंजाब असैम्बली में भी उनके साथ रहा हूं। मैं उनके भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लीडर आफ दि हाउस ने इस भाोक प्रस्ताव में सिर्फ राजनीतिक नेतागण के नाम ही भाामिल नहीं किये बल्कि बडे बडे कवि और साहित्यकारों के नाम भी इसमें भाामिल किए है। श्री रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी केवल राजनैतिक ही नहीं थे बल्कि उंचे कवि भी थे। उनके निधन से मुझे बडा अफसोस है। श्री हंस राज कपूर फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और पंजाब के अन्दर अपर हाउस के मैम्बर भी रहे हैं। मुझे इनके निधन से बहुत दुख है। इसके अलावा लीडर आफ दि हाउस ने भाोक प्रस्ताव के जरिए सभी का नाम पढ दिया है। इसीलिये इनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। जो भाोक प्रस्ताव लीडर

आफ दि हाउस ने पे ा किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि उनके भाोक सतंप्त परिवारों को संवेदना भेजें।

डा0 मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है उसमें 40 महानुभावों का जिक्र किया है। इनमें से 20 के बारे में तो मुख्यमंत्री जी ने बडा कश्ट करके पढा है। इसे एक औपचारिकता ही कहना चाहिए क्योंकि अपने यहां संसदीय प्रणाली के अनुसार एक प्रथा है कि जब कभी भी सै ान का पहला दिन होता है तो हम ऐसे महानुभावों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। जिनके बारे में सीएम साहब ने पढ कर सुनाया है उन सभी का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ के बारे में अपने विचार भी प्रकट करना चाहूंगा। जैसा कि भाुरू में कर्नल मुहम्मद अनवर सादात का जिक्र किया गया है। ये मित्र के राश्ट्रपति थे। उनको वहां के कुछ लोगों द्वारा गोली से उडा दियसा गया। डिप्टी स्पकीर साहब, राजनीति के अन्दर गोली से किसी को उडाया जना कोई अच्छी बात नहीं है। विचारों का मतभेद होना अलग बात है। विचारों का राजनीति के अन्दर मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। यदि बात गोली तक बढ जाये ंतो इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। वे आज इस संसार से चले गए है। स्वर्गवास हो गए है। इसलिए आज हम उनके गुणों के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे है।

डिप्टी स्पकीर साहब, इसी प्रकार से श्री जयसुखलाल हाथी भी हमारे प्रदे ा के राज्यपाल रहे हैं वे राज्य सभा तथा

लोक सभा के सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि वे भारतीय विदया भवन के कार्यो में गहरी रूचि रखते थे और इसकी अन्तर्राश्ट्रीय समिति के अध्यक्ष मानद कोशाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रहे। हाथी साहब का इन कामों में बडा भारी योगदान था। उनके अन्दर गुणों का भंडार था। वे सारा जीवन कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में होने के बावजूद भी उनके व्यवहार से ऐसा लगा कि मानों वे किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते। उन्होंने अपना जीवन बडे परिश्रम के साथ व्यतीत किया। उनकी इस बारे में जितनी भी चर्चा की जाये वह कम है।

डिप्टी स्पकीर साहब, श्री मोहन लाल सुखाडिया का भी यहां पर जिक्र आया है वे राजस्थान के निर्माता माने जाते है। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उनके श्रीमति इंदिरा गांधी जी से मतभेद हो गए थे। इसी मतभेद के दौरान वे कांग्रेस पार्टी छोड कर चले गए थे। बाद में वे वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आए थे। वै अपने जीवन काल में जहां भी रहे वहां के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने अपने प्रदे ा को हरा भरा बनाने में बडा योगदान किया। लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने पंचायती राज लागू करने में सबसे पहले पहल की और अपने वहां पर सबसे पहले पंचायती राज लागू किया। उनके निधन से इस दे ा को एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एक अनुभवी सांसद और एक अच्छे राज्यपाल से वंचित होना पड गया। डिप्टी स्पकीर साहब, इसी प्रकार से इस लम्बी सूची के

अन्दर ज्योतिर्मय बसु का भी भुभ नाम भाामिल है। विचारों से तो उनके हमारे साथ बउे मतभेद थे परन्तु हमारे यहां यह वि ोशता है कि मरने के बाद विचारों के मतभेदों को भुला दिया जाता है। उन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए पार्टी के लिए बहुत काम किया। अपनी पार्टी के काम के साथ साथ उन्होंने दे ा की भी बहुत सेवा की है। उनके अन्दर एक सांसद के एक विधायक के बहुत अच्छे गुण थे। संसद के अन्दर उन्होंने एक बहुत बडा रोल अदा किया है। उन्होंने दे ा की सेवा के लिए कोई भी सुअवसर नहीं जाने दिय। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सतारूढ दल भी उनको बुरा नहीं मानता था। वे अपने विचारों से सरकार को अवगत कराते रहते थे। अपना सारा काम नियमानुसार करते थे। उनहोंने बडी कु ालता के साथ अपने कार्य का भार वहन किया। उत्पीडित वर्ग के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए और उपनिवे ावाद के अथक परिश्रम किया। भ्रश्टाचार के विरूद्ध वे समय समय पर अपनी आवाजे उठाते रहे। पार्लियामेंट के अन्दर बडे तीखे सवाल उठाये और बडी सफलता के साथ उठाये।

डिप्टी स्पकीर साहब, इसी प्रकार से यहां पर श्री लहरी सिंह जी का भी जिक आया है बाबू मूलचंद जैन जी को मैं सौभाग्य ाली कहूंगा ि कवे उनके बाद नजदीक रहे और इन्होंने अपनी जीवन अनके स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बिताया है। इन्ही सेनानियों में स`अब कुछ धीरे धीरे इस संसाद से विदा होते जा रहे है। श्री लहरी सिह जी का हृदय बडा साफ था वे अपने समय

में मंत्री भी रहे। वे एक अच्छे वकील थे। उनके हृदय के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमदर्दी थी। अपना कार्य करने में बडा परिश्रम करते थे। वे अपने जीवन में कभी भी किसी कार्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सन 1962 तक अपना सारा समय कांग्रेस पार्टी के अन्दर बिताया परन्तु जब कांग्रेस वालों ने उनके साथ ज्यादती भुरू की तो वे कांग्रेस पार्टी छोडकर, बगावत करके जनसंघ में भाामिल हो गए। जनसंघ में भाामिल होने के बाद वे संसद के अन्दर गए। मुझे भी उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके मरने से दो दिन पहले मैं उनसे अस्पताल के अन्दर मिल कर आया था। जब मैं उनसे अस्पताल में मिला तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। भाादियों के अन्दर अधिक खर्च करने के वे सख्त विरोधी थे। वे एक अच्दे जाने माने वकील थे सदस्य भी रहे और मंत्री भी रहे। इतने पदों पर रहते हुए भी वे एक मकान तक नहीं बना सके। रोहतक जिले के अन्दर उनकी अच्छी वकालत चल रही थी। 70 साल की उम्र तक वे वकालत करते रहे। कभी भी उन्होंने किसी कार्य को करने में झिझक नहीं की। उन्होंने जिस ढंग से कार्य किया उसकी जितनी भी सराहना की जाये वह कम है। उनके निधन से इस प्रदे ा ने एक अच्छे कर्मठ नेता को खो दिया है।

डिप्टी स्पकीर साहब, इस लम्बी सूची में राव महावीर सिंह जी का नाम भी भाामिल है। राव महावीर सिंह जी एक अच्दे जाने माने कार्यकर्ता थे। राव महावीर सिंह जी एक होनहार बाप

के बेटे थे। इनके पिता जी भी पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपनी मेहनत से और एक अच्छा राजनैतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ लोगों के अन्दर एक बहुत बडा स्थान पा लिया था। वे गुडगांव की खण्ड समिति के अध्यक्ष जिला परिशद के उपाध्यक्ष, मार्किट कमेटी के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक निदे ाक भी रहे। राव महावीर सिह कर्मठ कार्यकर्ता थे। वे स्कूलों और कालेजों की गतिविधियों में वि ोश तौर पर भाग लिया करते थे।

डिप्टी स्पकीर साहब, इस सूची के अन्दर बहुत सारे ऐसे महानुभावों का जिक किया गया है जिन्होंने इस दे ा की दिन रात मेहनत करके सेवा की है। श्री रामचंद्र का ीनाथ माहलगी भी एक जाने माने कार्यकर्ता थे। वे संसद के सदस्य भी रहे। श्री महालगी राश्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, जनसंघ, जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध थे। वे बंबई विधान सभा के सदस्य रहे और महाराश्ट्र विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री महालगी को अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं और संगठनों से संबंध था। वे जिस भी क्षेत्र में जाते थे। उसके लिए बडे अथक परिश्रम और ईमानदारी से सेवा करते थे। उनके विधानसभा में हमने एक अच्छे कार्यकर्ता को खो दिया है। इसलिए मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए श्री महालगी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

डिप्टी स्पकीर साहब, इस सूची में उपकुलपति, जज हाई कोर्ट, सिक्किम के चोग्याल जो ा मलीहावादी और फिराक गोरखपुरी जैसे उर्दू के भाायरों का भी जिक्र आया है। इन सबके बारे में डिटेल मे कहना चाहूं तो मु कल है लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उनके निधन का हमे बडा दुख है। हमें यह भी अफसोस है कि जो ा मलीहाबादी जी को हालांकि इतनी बडी उपाधि हमारी सरकार ने दी थी लेकिन उस के बाद भी वे पाकिस्तान चले गए। यह उनकी मर्जी थी परन्तु उनके आज संसार में न रहने से हमें बडा दुख है।

भगवती चरण वर्मा जी की एक पुस्तक मैंने जब बीए का इम्तहान दिया था पढी थी वह एक उपन्यास था और उसका नाम थो टेढे मेढे रास्ते। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसी तरह की अनेक पुस्तकें इन्होंने लिखी है। इनके निधन से हमने एक बहुत अच्छा साहित्यकार खो दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सूची में 20 संसद सदस्यों और 11 विधान सभा के सदस्यों के नाम है। इनमें से एक नाम भाई जोध सिंह जी का भी है। वे पंजाबी यूनिवर्सिटी के निर्माता थे। जिन दिनों हिन्दी आन्दोलन हुआ था वे राज्यपाल महोदय की ओर से नौमिनेट होकर आए थे। अगर मैं गलती नहीं करता तो मैं यह भी कहूंगा कि अर्ली बीसवीं सदी में जो गुरूद्वारा एक्ट बना था उसके बनवाने में भी इनक हाथ था। धार्मिक स्थानों के पैसों का

जो दुरूपयोग होता था उसको बचाने के लिए उन्होंने कानून बनवाया। इनका यह बहुत सराहनीय काम था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संसार में जो भी जीव आया है चाहे वह अच्छा है या बुरा, चाहे गरीब है या अमीर, बडा है छोटा सब ने एक न एक रोज यहां से जाना है। यह प्रकृति का एक नियम है लेकिन जैसा बाबू मूलचंद जैन जी ने कहा हमें दिवंगत महानुभावों के जीवन से प्ररेणा लेनी चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं दिवगंत महानुभावों को श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं और उनके भाोक संतप्त परिवारों को इस विधानसभा की ओर से एक प्रस्ताव भेजे जाने का समर्थन करता हूं।

श्रीमति सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी मुख्यमंत्री महोदय ने 40 दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धाजंलि और उनके भाोक सतंप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है मैं भी अपनी और अपने दल की और से इस भाोक प्रस्ताव में भारीक होती हूं। यों तो सभी महानुभावों के निधन का हमें भाोक है लेकिन इनमें से कुछेक का मैं वि ोश उल्लेख करना चाहूंगी जिनके साथ मेरा निजी और सार्वजनिक तौर पर संबंध रहा है। सबसे पहले मैं श्री जयसुखलाल हाथी जी का जिक करूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, हाथी साहब चूंकि एक समय हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं इसलिए इस हरियाणा विधान सभा का हर सदस्य थोडा बहुत उन्हें जानता हैलेकिन मुझे इनके कई बार मुलाकात

करने और कई विशयों के संबंध में बातचीत करने का सौभाग्य और मौका मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, यों तो काफी बातें लिखित में और मौखिक रूप से हाथी साहब के बारे में कही गई है लेकिन एक बात मैं नि चत तौर पर कह देना चाहती हूं। हाथी जी उन चन्द राजनीतिज्ञों में थे जो बहुत लम्बे अर्से तक राजनीति में रहने के बावजूद नौन–कंट्रोवर्शियल थे। उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक मात्र रहस्य यह था कि उस व्यक्ति ने कभी भी मैनुपुलेटिव पौलिटिक जोड तोड की राजनीति में वि वास नहीं किया। वे हमे ाा पौजिटिव पौलिटिक्स में वि वास रखते थे। इसी धारणा से वे अपनी जिन्दगी काम करते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ के अलावा एक अच्छे एंव योग्य प्र ाासक के नाम से भी प्रख्यात हुए। इसके अलावा जैसा कि भाोक प्रस्ताव में लिखा है वे भारतीय बार एसोसिए ान के उप प्रधान और कानूनी सहायता संबंधी केंद्रीय समिति के सदस्य भी रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय विद्या भवन के कार्यो में उनकी बहुत रूचि थी। दिल्ली में उनकी भाव यात्रा का दृ य देखने योग्य था। भारतीय विद्या भवन दिल्ली के तमाम बच्चे हाथों में फूल मालाएं पकड कर आंखों से आंसुओं की झडी लगाते हुए उनके भाव पर पुश्प वर्शा कर रहे थे। उनके निधन से एक स्वच्छ राजनीतिज्ञ इस दे ा से चला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा नाम मैं श्री मोहन लाल सुखाडिया जी का लूंगी। उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय तो नहीं था

लेकिन वे भी श्री जयसुखलाल हाथी जी की तरह एक लम्बे अर्से तक राजनीतिज्ञ जीवन जी कर गए है। बहुत छोटी उमर में वे राजनीति में आए थे और दिन प्रति दिन सफलता उनके पग चूमती चली गई। एक सदस्य तो उनका नाम सफलता का प्रयास बन कर रह गया था। वे काफी समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये भी एक अच्छे प्र ाासक के रूप में विख्यात रहे हैं।

ज्योतिर्मय बसु, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत उच्च कोटि के नेताओं में से रहे है। ये उन चन्द लोगों में से एक है। जिन्होंने भाायद के रूप में दे ा पर एक अमिट छाप छोडी है। दे ा में संसदीय प्रणाली को पुनर्गठित करने में उनका बहुत योगदान रह है। आने वाले सयम में उनकी गिनती उच्चकोटि के अग्रणी लोगों में होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भगवती चरण वर्मा का जिक्र यहां ससंद सदस्य के रूप में किया गया है लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि उन्होंने हमारे दे ा की सेवा संसद सदस्य के रूप में कम और हिन्दी मूर्द्धन्य साहित्यकार के रूप में ज्यादा की है। उदाहरण के लिए उनकी एक कृति चित्रलेखा ही काफी है। उनके माध्यम से उन्होंने पाप पुण्य का वर्णन बहुत ही प्र ांसनीय ढंग से किया है। उनके इस संसार से चले जाने से हमने एक बहुत विद्वान खो दिया है।

इसके बाद मैं न्यायमूर्ति भूपेंद्र सिंह ढिल्लो जी को श्रद्धाजंलि देना चाहूंगी। इनको मुझे एक एडवोकेट के नाते से देखने का मौका मिला है। कई केसिज में मैं उनके सामने अपीयर हुई है। इनके बारे में जूनियर एडवोकेटस यह महसूस करते थे कि इनके कोर्ट में उन्हें एनकरेजमेंट मिलती है। वे हमे ाा बात धैर्य से सुनते थे बिना यह फर्क किए कि कोई व्यक्ति बार में आज ही आया है या कई सालों से वकालत कर रहा है। वे बडे संवेदन ाील जज थे। मैं समझती हूं कि उनके असामाजिक निधन से एक संवेदन ाील जज हमने खो दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राव महावीर सिंह जी जब यहां विधायक थे तब मैं उनसे परिचित नहीं थी लेकिन पिछले कुछ सालों से उनसे परिचय एकदम आत्मीयता में बदल गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह वि ोशण तो आम तौर पर दिया जा सकता है कि फलां व्यक्ति बहुत अच्छा सांसद था या फलां व्यक्ति बहुत अच्छा प्र ाासक था लेकिन बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते है जिनको यह वि ोशण दिया जा सके कि वह बहुत अच्छा इसांन था। बहुत अच्छे इंसान दे ा और समाज की अमर पूंजी होते हैं। उनके इस व्यक्तित्व का सबसे बडा कारण यह था कि वे राजनीति में होते हुए भी स्पश्ट बात करने वाले व्यक्ति थे। जो कुछ उन्हें कहना होता था वे सहज स्वभाव से कह दिया करते थे बिना सोचे कि कल को उसका क्या परिणाम होगा। उनमें हिपोक्रेसी नाम की

कोई चीज नहीं थी। उनके निधन से मैं निजी क्षति का अहसास करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, महन्त भयाम सुन्दर दास जी के बारे में कोई लिखित बात यहां पे ा नहीं की गई है लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। वे ससंद सदस्य के रूप में बहुत लोकप्रिय नहीं हुए लेकिन व्यक्ति की हैसियत से वे भी उतने ही उच्च थे जितने की राव महावीर सिंह जी। सन 1977 के चुनाव में मुझे उनसे भेंट करने का मौका मिला था। एक बहुत बडे व्यक्ति की बेटी उनकी बहू थी लेकिन उनमें जरा भी अंहकार नहीं था। चुनाव के समय में सीतामढी गई थी। उसके बाद दिल्ली में उनसे बहुत बार मुलाकात हुई। पांच वर्श संसद सदस्य रहने के बावजूद भी उनमें रती भर गरूर या अहंकार का नि ाान न था। वे बहुत सहज और सरल व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति राजनीति में देखने को नहीं मिलता इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि महन्त भयाम सुन्दर जी के निधन से हमने एक बहुत बडा व्यक्ति खो दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दिवंगत व्यक्तियों की सूची बहुत लम्बी है। इसमें 40 व्यक्तियों के निधन का वर्णन किया गया है। सबको श्रद्धाजंलि देने का समय बहुत लगेगा इसलिए में ज्यादा न कहते हुए तमाम महानुभावों के प्रति भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित करती हूं और दिवंगत आत्माओं के भाोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकत करती हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहल (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, जो भाोक प्रस्ताव लीडर आफ दि हाउस ने रखा है मैं भी उसमें भागमिल होता हूं। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इन चालीस महानुभावों के निधन से मुझे बडा भारी अफसोस है। राव महावीर सिंह हमारी पार्टी के प्रैजीडेंट थे। हमारी पार्टी का नाम ने ानल इण्डियन कांग्रेस है। वैसे तो राव महावीर के निधन से सारे हरियाणा और दे ा को नुकसान हुआ है परन्तु खासतौर पर हमारी पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। वे सच्चे दे ाभक्त और समाजवादी थे और जात–पात पर कोई वि वास नहीं रखते थे। वे जाट ब्राहमण तथा सभी बिरादरी को एक समान समझते थे। राव महावीर सिह सन 1967 में एमएलए थे और उस समय मैं भी एमएलए था जब हमारे राव बीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके भागसनकाल में किसी प्रकार की कोई गडबड नहीं थी। राव महावीर सिंह बहुत ही बडे इंसान थे। उन्होंने कई कालेज खोले। उनके पिता राव मोहर सिंह जी भी बडे म ाहूर व्यक्ति हुए है। राव मोहर सिंह जी ने भी बडे बडे काम किये है। उनके कामों को आम जनता में अमिट छाप है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों उनके नेतृत्व में एक जलसा हुआ था जिस में लाखों लोग आये थे। लाखों लोगों को इक्टठा करने के लिए न कोई ट्रक और न ही कोई ट्रैक्टर इस्तेमाल किया गया। सभी लोग पैदल चल कर जलसे में आये

थे। हरियाणा प्रदे ा के दूसरे महान नेता चौधरी लहरी सिंह जी भी आज इस संसार से चले गये है। उनके बारे में बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। जब मैं जाट कालेज में पढता था उस वक्त उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस टाईम पर हिन्दी रीजन से वे अकेले ही वजीर हुआ करते थे। वे बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी थे। हरियाणा और पंजाब अलग होने के बाद वे चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए थे परन्तु बन नहीं सके। उन्होंने हरियाणा प्रान्त के लिए बहुत ही बडे बडे काम किए। हरियाणा में नहरें बनाने का बहुत बडा काम किया था। उनसे मुझे भी कई बार मिलने का मौका मिला था।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं सारे हाउस से प्रार्थना करता हूं जितने महानुभाव इस संसार से चले गये हैं उनके भाोक संतप्त परिवारों को हाउस की ओर से संवेदना पत्र भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज पिछले सै ान के बाद हमसे बहुत सी रीनाउन्ड परसनेलिटिज अलग हो गई है। उन्होंने अपने अपने सफीयर में indelible prints on the sands of time छोडे है। उनके स्वर्गवास होने से हमारे प्रान्त और दे ा को जो बडा धक्का लगा है इसकी पूर्ति करना मु कल है। यह लिस्ट तो बडी लम्बी है लेकिन इन में से कुछ एक का जिकर करना मेरे लिए जरूरी है।

श्री मुहम्मद अनवर सादात इजिप्ट के प्रैजीडेन्ट थे। उन्होंने प्रैजीडेन्ट नासर की डैथ के बाद इंडिया के साथ इन्डो–इजिप्ट फ्रैन्डि ाप को स्ट्रेन्थन करने में बडा पार्ट प्ले किया। उन की डैथ से इंडिया ने एक सच्चा दोस्त खो दिया।

श्री जयसुखलाल हाथी हरियाणा के गवर्नर रहे और बहुत देर तक सिस्टर स्टेट पंजाब के भी गवर्नर रहे। वे अपनी आफिि ायल डयूटीज के इलावा सो ाल और कल्चरल एक्टीविटिज में बडा भाग लेते थे।

श्री मोहन लाल सुखाडिया हमारे पडौसी राजस्थान स्टेट के वर्शो तक चीफ मिनिस्टर रहे और आद में उन्होंने गवर्नर और एमपी के रूप में दे ा की बडी सेवा की। आपने अपने चीफ मिनिस्टर के काल में राजस्थान को उठाने का भरसक प्रयत्न किया था। सही मायनों में तो वे उच्चकोटि के सियासतदान थे। वे मनुश्य को मनुश्य समझते थे और इसमें वि वास भी करते थे। जिस व्यकित से भी मैंने उनके बारे में चर्चा की चाहे वह व्यक्ति राजस्थान के रजवाडा वर्ग से, चाहे व्यापारी वर्ग से, चाहे सरकारी कर्मचारी वर्ग से संबंध रखता हो, चाहे वह नीचे, उंचे, आर्थिक व सामाजिक वर्ग से संबंध रखता हो उनकी भूरि–भूरि प्र ंसा करता था। सही मायनों में वे नवीन राजस्थान के निर्माता थे और धर्म निरपेक्षता के कटटर प्रेमी थे। He was one of the first Chief Ministers to introduce Panchayati Raj in India.

लोकसभा के इतिहास में श्री ज्योतिर्मय बसु का नाम हमे ाा अमर रहेगा। चौधरी लहरी सिंह जो हमारे हरियाणा में सोनीपत के रहने वाले थे। उन्होंने यूनाइटिड पंजाब मे इरीगे ान मिनिस्टर के तौर पर भाखडा डैम की कम्पीलि ान में बडा काम किया। ि ाक्षा के क्षेत्र में हरिजन और बैंकवर्ड कलासिज की उन्नति के लिए भी काफी काम किया। चौधरी लहरी सिंह जी से मुझे एक बार मिलने का अवसर मिल है। जब से पंजाब में थे तो उन्हें कार से गिरने के कारण चोट आयी थी। उस टाईम पर वे जलन्धर मैडिकल हास्पिटल में थे। मैं और ठाकरान साहब उनसे मिलने के लिए गये। हमें उनसे मिलने पर ऐसा अनुभव हुआ कि वे सच्चाई की मूर्ति है। उन्हें हरियाणा के विशय में विस्तारपूर्वक ज्ञान था। उनके सामने कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता था।

राव महाबीर सिंह मेरे भाहर गुडगांवा के रहने वाले थे और पिछले इलैक ान में मेरे साथ ही उनकी मुकाबला था। वह एक अनथक वर्कर थे। उनके पिता राव मोहर सिंह जी का लोगों की सेवा करने का अपना ही इतिहास था। उन्होंने अपने जीवन के तीस वर्शो में गुडगावां तथा महेन्द्रगढ जिलों की बेअन्त सेवा की। राव महाबीर सिंह को राजनैतिक जीन में आने की प्ररेणा अपने पिता जी से ही विरासत में मिली थी। उनकी मृत्यु से गुडगांवा और महेन्द्रगढ जिला एक अच्छे सो ाल वर्कर और राजनीतिज्ञ की सेवा से वंचित हो गये है।

श्री जो ा मलिहाबादी और फिराक गोरखपुरी की डैथ से उर्दू जबान का बडा नुकसान हुआ है। उनकी भाायरी हमे ाा अमर रहेगी। श्री एजी खैर और श्री मुकन्दीलाल हमारी पडोसी उत्तर प्रदे ा स्टेट में वर्शो तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहे। भाई जोध सिंह भी एक माने हुए एजुके ानिसट थे और उन्होंने एजुके ान के सफीयर में बडा इम्पीटेंट रोल प्ले किया।

मैं इन सब महान हस्तियों का तथा जिनका अन्त में लिस्ट के रूप में जिकर है इन सब को श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं। मैं इस हाउस की गहरी हमदर्दी को भाोकजदा परिवारो तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन डिपार्टिड लीडर्ज के प्रति होमेज पे करने के लिए खडे होकर दो मिनट का मौन धारण करे।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने खडे होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

घोशनाएं

(क) उपाध्यक्ष द्वारा–

1. पैनल आफ चेयरमैन

श्री उपाध्यक्षः मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधानसभा के रूल्ज आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के

अधीन मैं नीचे लिखे हुए मैम्बर साहेबान को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिए नोमिनेट करता हूं:–

1. चौधरी हरस्वरूप बूरा

2. चौधरी बीरेन्द्र सिह

3. चौधरी राजेन्द्र सिंह

4. श्री प्रीत सिंह

(2) कमेटी आन पैटि ान्ज

श्री उपाध्यक्षः मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधानसभा के रूल्ज आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 286(1) के अधीन मैं नीचे लिखे हुए मैम्बर कमेटी आन पैटी ान्ज में कार्य करने के लिए नोमिनेट करता हूं:–

1. कंवर विजयपाल सिह, उपाध्यक्ष, पदेन सभापति

2. चौधरी बीरेन्द्र सिह

3. चौधरी हरस्वरूप बूरा

4. श्रीमति सुशमा स्वराज

5. श्री सुमेर चन्द भटट

(ख) सचिव द्वारा–

(3) राज्यपाल/राश्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी–

श्री उपाध्यक्षः अब सैक्रेटरी साहब एक अनाउसमैंट करैंगे।

सचिवः मैं उन विधेयकों को द र्ाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने सितम्बर 1981 के पतझड सत्र के दौरान पास किये थे तथा जिन पर राश्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है सादर सदन की मेज पर रखता हूं–

Statement

1. *The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 1981.

2. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1981.

3. The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 1981.

4. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1981.

5. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1981.

6. The Punjab Gram Panchyat (Haryana Amendement) Bill, 1981.

7. The Haryana Approriation (No. 5) Bill, 1981

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब मैं विभिन्न कार्यों के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किये गये टाईम टेबल की रिपोर्ट पे ा करता हूं–

"The Committee met at 10.30 AM on Monday, the 15th March, 1982, in the Chamber of the Hon. Speaker.

The Committee, after some discussion, recommended that the Business on the 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and 22nd March, 1982 be transacted by the Sabha as follows-

The House will meet immediately half-an-hour after the conclusion of the Governor's Address on the 15th March, 1982	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House.
	2. Obituary References.
	3. Presentation and option of the First Report of the Business Advisory Committee.
	4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5. Presentation of Preliminary reports of the committee of Privileges and extension of

	time for presentation of the final reports thereon.
Tuesday, the 16th March 1982 (9.30 AM)	1. Questions Hours.
	2. Presentation of Supplementary Estimates (second installment) 1981-82 and the report of the estimate committee thereon.
	3. Presentation of excess Demands for Grants over Appropriations for the year 1977-78.
	4. Papers to laid/presented to the House.
	5. Presentation of the Enquiry Committee Report by Sh. Baldev Tayal, M.L.A.
	6. Leave to introduce & introduction of Government Bills- 1. The Punjab Cinemas (Regulations) Haryana Amendment Bill, 1982. 2. The Haryana Public Wakfs

	(Extension of Limitation) Bill, 1982.
	7. Discussion on Governor's Address
Wednesday, the 17th March 1982 (9.30 AM)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on Governor's Address.
Thursday, the 18th March 1982 (9.30 AM)	1. Questions Hour.
	2. Non-official business.
Friday, the 19th March 1982 (9.30 AM)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on Governor's Address.
	3. Presentation of Budget for the year 1982-83 (At 12.00 Noon)
Saturday, the 20th March, 1982	Off-Day
Sunday, the 21st March, 1982	Holiday
Mondya, the 22nd March, 1982 (2.00 P.M.)	1. Question Hour.

	2. Resumption of Discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.

The Committee further decided to hold its next meeting on Monday, the 22nd March, 1882 at 11.00 A.M.

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गयी सिफारि ाों के साथ सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गयी सिफारि ाों के साथ सहमत है।

श्री कंवल सिह (धिराये): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपार्ट स्वीकार करने के लिए हाउस के सामने रखी गयी है। इसको पढ़ने से यह मालूम होता है कि एक कमेटी जो बलदेव तायल जी की बनायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट हाउस के सामने आ रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाता हूं कि इस हाउस की एक महत्वपूर्ण कमेटी और ीा है और पिछले एक साल मे इस कमेटी ने काफी काम किया है। उस कमेटी का, मैं भी सदस्य हूं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनेलाईज की थी लेकिन उस रिपोर्ट की प्रेजैन्टे ान का इसमें

कोई जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट की क्या पोजी ान है। (व्यवधान व भाोर)। मैं पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी की बात कर रहा हूं। उस कमेटी ने एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान के बारे में बड़े विस्तार से विचार विम र्ा किया हैं

Ch. Khurshid Ahmed: The House has nothing to do with the Report of the Committee of the House no. This is the Speaker's job. (Interruptions). No reference can be made to the working of the Committees of the House now.

Mr. Deputy Speaker: Kanwal Singh Ji, that report is under consideration of the Speaker.

श्री कंवल सिंहः आप सुनिये तो सी। प्रिविलेज कमेटी को एक इ ाू रैफर किया गया था। इस बारे प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट देने के बारे में एक्सटैं ान मांगी जा रही है।

Ch. Khurshid Ahmed: Only the Report of the Business Advisory Committee can be discussed now. The report of any Committee which has not been placed on the Table of the House cannot be discussed and any reference to that Report cannot be made.

श्री कंवल सिंहः मजौरिटी से जो फैसला हो जाता है, उसको तो सदन में लाया जाना चाहिए। यह कोई जम्हूरियत नहीं है कि अपनी पावर की बदौलत उसे सदन में भी न लाया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, इस प्रान्त के अन्दर भ्रश्टाचार फैला हुआ है और केवल अपना राजनैतिक दबाव डालकर उस रिपोर्ट को इस

सदन में नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए मैं यह रिकवैस्ट करता हूं कि उस रिपोर्ट को सदन में जल्दी से जल्दी पे ा किया जाये।

Ch. Khurshdi Ahmed: Any reference to that Report cannot be made in the House now. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से प्रोग्राम पे ा किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। जिस समय यह टैंटेटिव प्रोग्राम हरेक सदस्य को भेजा गया था, तो मैंने इस बारे में एक चिट्ठी स्पीकर साहब को, लीडर आफ दि हाउस को और बिजनैस एडवाईजरी कमेटी के तमाम मैम्बर्ज को भी लिखी थी। (व्यवधान)

Ch. Khurshid Ahmed: It is not a fact. The members of the Business Advisory Committee did not receive any letter. How can he quote the members of the Buiness Advisory Committee here? (Interruptions) How can he say that he has addressed the letter to the member of the Business Advisory Committee ? (Interruptions)

Ch. Ram Lal Wadhwa: I strongly protest against the attitude of the Finance Minister. (Interruptions). या तो हाउस को वह चलायें या आप चलायें। आपस में पहले आप इस बात का फैसला कर लीजिए कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब टोकेंगे या आप टोकेंगे। (व्यवधान व भाोर)

Ch. Khurshid Ahmed: When any member misleads the House, I have the reason to point it out.

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर, ... इसलिए हम तो कुछ कहते ही नहीं। हमें तो जितनी ..... होनी चाहिए, उतनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी वह चिट्ठी डाक्टर साहब को और बलदेव तासल जी को मिली है लेकिन यह कैसे हो सकता है कि लीडर आफ दि हाउस और खुर ाीद साहब को न मिली हो ?

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे तो इनकी चिट्ठी मिली है।

चौधरी खुर ाीद अहमदः आपको दस्ती दी होगी। We cannot take note of the private things in the House.

चौधरी राम लाल वधवाः मैंने बाई–पोस्ट भेजी थी। (व्यवधान व भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, सी.एम. साहब सदन में आ गये हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने फैक्ट्स एण्ड फिंगर्ज के साथ एक एक दिन के अन्दर कौन से बिजनैस पर कितना समय लगेगा, यह दिया हुआ है। जो टैंटेटिव प्रोग्राम भेजा गया था, उसके आधार पर बड़ी तफसील में निवेदन किया था कि लीडर आफ दि हाउस को, स्पीकर साहब को और इस कमेटी के सदस्यों को इतना टाईम क्वै चन आवर में लगेगा, इतना टाईम जीरो आवर में लगेगा, काल अटैं ान मो ानें भी आयेगी, हाफ एन आवर डिस्क ान भी होंगी और इसके अलावा

दूसरे मो ांज भी आयेंगे। इन सब बातों पर समय लगाने के प चात् गवर्नर एड्रैस और बजट पर बोलने के लिए केवल 4–5 घंटे ही बचते हैं जिसमें से सी.एम. साहब और फाईनैंस मिनिस्टर साहब को भी रिप्लाई देना होगा।

गवर्नर एड्रैस पर और बजट पर लीडर आफ दि अपोजि ान को सबसे ज्यादा वक्त मिलता है लेकिन जितना समय रिपोर्ट मैं रखा गया है उसके हिसाब से मैम्बर्ज को दो–दो मिनट भी नहीं मिल पाएंगे। मैंने तफसील में सारी बातें दी थी। कृपा करके आप उस लैटर को हाउस के सामने पढ दें ताकि हाउस को सारी बातों का पता लग जाये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उस मीटिंग में भाामिल थे और इनकी तरफ से डा. मंगल सैन और बाबू मूल चन्द जैन भी थे। यह सब के सामने फैसला हुआ है ..... (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, जब एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो लीडर आफ दि हाउस किस कैपेसिटी में खडे हुए हैं ? इन्होंने न कोई प्वाएंट आफ आर्डर उठाया है न ही कोई वि ोश बात कही है। चौधरी राम लाल वधवा ने अभी अपनी बात खत्म ही की हैं।

श्री उपाध्यक्षः राम लाल वधवा तो अपनी बात कम्पलीट कर चुके हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की हैं सी.एम. साहब ने कहा था कि मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में बैठकर कोई फैसला हो गया और मेरे लीडर ने वहां कोई बात नहीं कही या कोई बात कहने से रह गई तो हाउस में मुझे कहने का तो अधिकार है और वह बात हाउस में आ सकती है। (ाोर एवं व्यवधान) मेरी बात बिजनैस एडवाईजरी कमेटी के सामने रखी ही नहीं गई। कम से कम कमेटी के सामने मेरा पत्र रखा जाना चाहिए था और उसे कंसीडर किया जाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्षः सबके पास वह लैटर था ओर सब ने देखा था।

चौधरी राम लाल वधवाः मेरा निवेदन यह है कि उसको हाउस के सामने रख दिया जाए। हाउस उसे देख लेगा और उसके अनुसार आगे की कार्यवाही हो जाएगी। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आपने जो पत्र भेजा था, मैम्बर्ज ने उसको देखने के बाद ही फैसला किया है। इसलिए अब उस पत्र की कोई वैल्यू नहीं है।

डा. मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, हम इसलिए नहीं बोले थे कि इन्होंने कहा था कि अभी एक हफ्ते का प्रोग्राम है। अगले हफ्ते का जब प्रोग्राम बनेगा तब देख लिया जाएगा। (ाोर एवं व्यवधान)

17.00 बजे

चौधरी भजन लालः आन ए प्वाएंट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय आप भी उस मीटिंग में थे। डा. मंगल सैन और बाबू मूल चन्द जी भी थे। राम लाल वधवा जी का जो लैटर था, बाकायदा उसकी कापी सब के पास थी और जो भी डिस्क ान वहां हुआ, उस कापी को सामने रखकर किया। (ाोर एवं व्यवधान) सारी बातें देखकर एक हफ्ते का प्रोग्राम तय हुआ है। अगले हफ्ते का जो भी प्रोग्राम होगा, वह सोमवारको तय हो जायेगा।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हं कि अगर कमेटी में मेरी बात नहीं आई तो कोई बात नहीं लेकिन मैंने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में एक मो ान दिया हुआ है। .... (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः इस वक्त हाउस के सामने वह मैटर नहीं है। हाउस के सामने तो बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट है ?

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हाउस के सामने तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा मो ान उस रिपोर्ट में आना चाहिए था। मुझे चिट्ठी मिली है कि वह मो ान रिजैक्ट हो गया है क्योंकि वह मामला पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी

के सामने है। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक अंडर टेकिंग्ज वाले कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, मामला पैंडिंग नहीं है। इसलिए मेरी मो ान के लिए बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट केअन्दर टाईम रख जाना चाहिए था। मेरा मो ान इन–आर्डर है ..... (ाोर एवं व्यवधान)।

श्रीमति सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। पिछले सै ान में मैंने एक प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था और मेरे प्वायंट आफ आर्डर का जो मसला था उसी पर चौधरी कंवल सिंह ने बात कही है। मैंने कहा था कि सदन की जो कमेटीज हैं वह सदन का ही स्वरूप हैं और जब कोई कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है तो वह सदन की प्रोपर्टी हो जाती है और उस रिपोर्ट को कोई सभापति या कमेटी का कोइ सदस्य हाउस में आने से नहीं रोक सकता। परम्परा तो यही है कि प्वाएंट आफ आर्डर की रूलिंग तभी दे देनी चाहिए। यह पार्लियामैंटरी कंवैन्ा ान है। लेकिन उस समय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया था कि सै ान समाप्त होने के बाद वे इन राइटिंग रूलिंग भेज देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उस बात को आज छः महीने हो गए लेकिन अभी तक मुझ कोई रूलिंग नहीं मिली है। उस समय मेरा व्यवस्था का प्र न यह था कि क्या कोई कमेटी का सदस्य या सभापति कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में आने से रोक सकता है ? मेरी तो आज भी यही धारण है कि रिपोर्ट को हाउस में आने से कोई रोक नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्षः इस स्टेज पर यह कोई प्वाएंट आफ आर्डर नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमति सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब ने माना था कि सै ान के बाद रूलिंग भेज दूंगा। उस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहती हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः जो पिछला प्वाएंट आफ आर्डर था वह तो पिछले सै ान में खत्म हो गया। अगर अब कोई प्वाएंट आफ आर्डर हो तो बताएं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमति सुशमा स्वराजः पिछले सै ान में अ योरंस दिया गया था कि सै ान खत्म होने के बाद रूलिंग भेज दी जाएगी। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलालः आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिए भी यह आखिरी सै ान है और हमारे लिए भी। बहुत सारी इम्पौर्टेंट रिपोर्टस इस वक्त कम्पलीट हैं और उन रिपोर्टस को तैयार करने में सरकार का और विधान सभा का लाखों रूपया लगा है। अगर लीडर आफ दि हाउस यह कहें कि मेरे साथियों ने पाप किए हैं और उन पापों को आप दबा लो, मैं माफी मांगता हूं तो बात दूसरी है लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो आप जो कमेटीज के चेयरमैन है, उनको कहें कि वे अपनी कमेटीज की कम्पलीट रिपोर्ट हाउस में पे ा कर दें और

जो चेयरमैन ऐसा नहीं करता उसको आज ही आप हटान का नोटिस दे दें

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी चौधरी उदय सिंह दलाल जी ने यहां पर बोलते हुए कहा है कि इनके साथियों ने पाप कर रखे हैं। ये भाब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिये जाने चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, इन सारी बातों की इंकवायरी करवाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट के जज को इस बात की इंकवायरी के लिए नियुक्त किया जाये। अगर ये गलती पर होंगे तो इनको कैद हो जाएगी और हम गलती पर होंगे तो हमें हो जाएगी। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहब, विधान सभा सचिवालय द्वारा जो लिस्ट आफ बिजनैस पहले भेजी गयी थी, उसमें 18 तारीख का दिन आफि ियल बिजनैस ट्रांजैक्ट करने के लिए रखा गया था लेकिन अब जो आज मीटिंग हुई हैं, उसमें 18 तारीख का दिन नान आफि ियल में तबदील कर दिया गया है। इसी सिलसिले में, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस सै ान में टाईम की सीमा काफी हद तक कम करने की कोि ा ा की गयी हैं जो कि उचित नहीं है। होना याहि चाहिए था कि मैम्बरो को बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाता। यह आखिरी सै ान है इसलिए सरकार की अचीवमैंटस

और उपलब्धियों के विशय मे सभी मैम्बर साहेबान अपने अपने विचार रखना चाहेंगे इसके साथ ही साथजो सरकार की कतियां हैं, उनको भी मैम्बर साहेबान सदन के सामने लाने की पूरी पूरी कोि ा ा करते। इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि मैम्बर साहेबान को अपने विचार रखने का खुला समय दिया जाए। समय की सीमा निर्धारित न की जाए ताकि सभी मैम्बर अपने विचार खुल कर यहां रख सकें। मेरे विचार में मुख्य मंत्री महोदय को इसमें किसी बात का एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह बिजनैस एडवाईजरी कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि सरकार के अपने विचार तो पहले ही हमारे सामने आ चुके थे कि सरकार 31 मार्च तक सै ान खत्म करना चाहती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय को यह भी चाहिए था कि इस समिति की मीटिंग बुलाने से पहले अपनी पार्टी के सदस्यों के विचार जान लेते। उनसे यह मालूम कर लेते कि सै ान कब तक चलना चाहिए ?

आवाजें: बहुत बुरी बात है। (ाोर)

चौधरी रिजक राम: लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया और जो प्रोग्राम पहले बना हुआ था उसको बदल दिया। मेरे विचार में यह कोई उचित सं ाोधन नहीं है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर यह समिति का गठन करने की क्या आव यकता थी ? इस समिति का गठन करना

कोई लाभदायक नहीं था। डिप्टी स्पीकर साहब, असूल के तौरपर मुख्य मंत्री महोदय को यह चाहिए था कि सै ान का प्रोग्राम नि ि चत करने से पहले पार्टी पर मुख्य मंत्री महोदय को यह चाहिए था कि सै ान का प्रोग्राम नि ि चत करने से पहले पार्टी की मीटिंग बुलाकर मैम्बरों के विचार सुनते और उसके बाद यह फैसला करते। वैस जो प्रस्ताव आज यहां पर रखा गया है, बे ाक उसे मंजूर कर दें या फिर दोबारा इसके लिए एक और मीटिंग बुला कर इसमें सं ाोधन कर दें ताकि सभी मैम्बरों को अपने विचार सदन के सामने रखने का पूरा पूरा मौका मिल सके।

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम जी बड़े पुराने मैम्बर हैं। मैं यह समझता था कि इनको काफी जानकारी होगी लेकिन इन्होंने यहां पर यह कह दिया कि इस समिति की जरूरत ही क्या है ? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब सै ान आता है तो इस समिति का गठन किया जाता है। समिति फैसला लेती है कि हाउस की कार्यवाही किस तीरके से की जानी है, कितना समय किस किस काम के लिए रखा जाना है अगर किस किस पार्टी को कितना कितना समय दिया जाना है। यहां पर किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सारे सदन की बात हे जोकि इस समिति द्वारा नि ि चत की जाती हैं। अगर एक पार्टी की बात होती तो हम आपस में बैठ कर फैसला कर सकते। अगर कोई एक आदमी अपनी बात कहना चाहे ता उसे अपनी पार्टी की मीटिंग में कहनी चाहिए, उसको हम मानेंगे। लेकिन यह तो सारे

सदन की बात है, पार्टी की बात नहीं है। सदन की बात तो समिति ही तय करती है और सभी के साथ एकसा व्यवहार किया जाता है।

श्रीमति सुशमा स्वराजः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अपने प्वाएंट आफ आर्डर पर रूलिंग चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (ाोर)

Sh. Baldev Tayal: Sir, I have not been given time.

Mr. Deputy Speaker: You will be given time.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी अभी बहिन सुशमा जी ने पिछली बार का अपना प्वायंट आफ आर्डर याद दिलाया और आपसे प्रार्थना की कि स्पीकर साहब ने उनको एक अ ाोरेन्स दी थी। (विरोधी पक्ष की तरफ से विघ्न) ..... आप थोड़ा सा सबर से सुनियें। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि बहिन सुशमा जी ने पिछले सत्र में एक प्वायंट आफ आर्डर रेज किया था कि वेरियस कमेटीज की जो रिपोर्टस सबमिट होती हैं वे प्रोपर्टी आफ दि हाउस हो जाती है और उन्हें ठीक टाईम पर हाउस में सबमिट कर देना चाहिए। इस पर बहन सुशमा जी ने स्पीकर महोदय की तरफ से एक रूलिंग चाही थी कि whether those reports become property of the House or not? अब इन्होंने अपना गिला जाहिर किया है कि पिछले

सत्र को लगभग 6 महीने हो गये हैं पर अभी तक स्पीकर महोदय की तरफ कसे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि स्पीकर महोदय की तरफ से क्लीयर आ वासन था कि आपको लिखित सूचना भेज दी जाएगी। इसलिए मेरी गुजारि ा है कि आप इस इ ू पर आज या कल अपनी रूलिंग दे दें।

दूसरी बात यह है कि अभी पी.यू.सी. के एक आनरेबल मैम्बर ने यह बताया है कि पी.यू.सी. की एक कारपोरे ान के संबंध मे यह रिपोर्ट 6 महीने पहले तैयार हो चुकी थी लेकिन वह अभी तक सदन में पे ा नहीं की गयी। इसलिए मेरी सदन से यह इलतजा है कि वह रिपोर्ट अगर इस सप्ताह में पे ा नहीं की जा सकती तो अगले सप्ताह जरूर पे ा कर दी जाए।

श्री बलदेव तायल (हांसी): डिप्टी स्पीकर साहब, बहन सुशमा जी ने पिछले सै ान मे जो प्वायंट आफ आर्डर रे यिका था ओर उसके बारे में जो रूलिंग आनी थी, उसका लैप्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि स्पीकर साहब की ओर से उनको एक आ वासन दिया गया था कि उनके प्वायंट आफ आर्डर के बारे में लिखित सूचना भेज दी जाएगी। अगरयह मामला उसी सै ान में डाई आऊट कर दियसा जाता तो अलग बात थी लेकिन आनरेबल मैम्बर को स्पीकर साहब कबी तरफ से एक स्पैसिफिक आ वासन दिया गया कि आपको इसकी लिखित सूचना दे दी जाएगी। इसलिए उसके लैप्स होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डिप्टी स्पीकर साहब, यह मामला थोड़े समय के बाद आज

नहीं तो कल अव य उठेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका निर्णय जल्दी ही कर दें। अगर कोई सरकार द्वारा कमेटी बनायी जाती है और वह अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो उसके बारे में सरकार की मर्जी है कि वह उसकी रिपोर्ट को छपवाये या न छपवाये, हाउस में भेजे या न भेजे, यह सरकार की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है लेकिन अगर हाउस की कोई कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है तो वह रिपोर्ट हाउस की प्रौपर्टी बन जाती है और उसे हाउस में आने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि हाउस द्वारा यह कमेटी अप्वायंट की हुई होती है। किसी भी अथैरिटी को यह अख्तियार नहीं है कि वह ऐसी कमेटी की रिपोर्ट हाउस से बैकआउट कर ले या हाउस को उस रिपोर्ट से वंचित रखे। डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस द्वारा बनायी गयी कमेटी की रिपोर्ट को आप कब तक दबा कर रख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक वह रिपोर्ट हाउस में सबमिट कर दी जाएगी ? मैं एक बात और सबमिट करना चाहता हूं कि जो भी कमेटी बनाई जाती है वह यह सोच कर बनाई जाती है कि इसका कोइ न कोइ लाभ होगा। वह कमेटी अपना काम करेगी और उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। फिर वह रिपोर्ट हाउस के सामने आएगी। उसके बाद यह देखा जाता है कि वह रिपोर्ट स्वीकार करनी है या अस्वीकार करनी है। वैसे तो ऐसी कमेटी की रिपोर्ट फाइनल होती है और उसे अस्वीकार करने का मतलब ही नहीं है। फिर उसके ऊपर डिस्क ान होती है। रिपोर्ट के अनुसार जो आदमी गुनाहगार पाए जाते हैं उनको दण्ड दिया जाना चाहिए और जिसने कोई अच्छा काम किया हो, उसकी

तारीफ की जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रजातन्त्र की प्रणाली को देखते हुए क्या किसी भी हाउस की कमेटी की रिपोर्ट को बैक करने का कोई कारण है ?

श्री उपाध्यक्षः सुशमा जी, मैं स्पीकर साहब से इस बारे में पूछूंगा कि उन्होंने इस बारे में कोई कम्यूनिके ान भेजा है या नहीं। मैं आपको इस बारे में कल बता दूंगा।

श्री सुमेर चन्द भट्टः डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि पिछले सै ान में भी मेरे बहुत नजदीकी साथी चौधरी कंवल सिंह ने इस तरह की बात हाउस में कही थी क्योंकि उस वक्त स्पीकर साहब कुर्सी पर विराजमान थे और उनको इस बारे में पूरी पूरी जानकारी थी। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दे दिया था और मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला था। जब तक आप मुझे इस बारे में 5–10 मिनट बोलने का समय नहीं देंगे तब तक यह मामला बार बार हाउस के सामने आता रहेगा। आप मुझे टाईम दें ताकि मैं इस बारे में फैक्टस रख सकूं।

Mr. Deputy Speaker: If stage comes for that I will give you time. Please sit down.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That this House agrees with the recommendations contained in the Final Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी प्रोटैक ान चाहिए, भट्ट साहब को जबदस्ती बिठा दिया गया है ... .

Mr. Deputy Speaker: Please sit down.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will lay/relay papers on the Table.

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to lay on the Table the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1982 (Haryana Ordinacne No. 1 to 1982.)

Sh. Baldev Tayal: No member can be gagged to sit down.

Mr. Deputy Speaker: Tayal Sahib, please sit down.

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, आप भट्ट साहब से पूछ लें कि वे और बोलना चाहते हैं या नहीं ? (ाोर)

Ch. Khurshid Ahmed: Sir, I beg to lay on the Table the Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1982 (Haryana Ordinance No. 2 to 1982.)

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इस हाउस की गरिमा को बनाये रखने के लिए मैं

आपकी रूलिंग चाहता हूं और एक बात भी पूछना चाहता हूं .....
.....

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order. Please sit down. (Interruptions)

Ch. Khurshid Ahmed: Sir, I beg to lay on the Table:-

The Transport Department Notification No. GSR. 33/C.A. 4/39/S. 133A/Amd. (1)/81, dated the 3rd March, 1981, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana First Amendment) Rules, 1981, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

The Excise and Taxation Department Notification No. GSR 125/PA. 16/55/S. 20/Amd.(1)/81, dated the 7th December, 1981, regarding the Punjab Entertainments Duty (Haryana First Amendment) Rules, 1981 as required under section 20(3) of the Punjab Enteratainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955.)

The Revenue Department Notification No. GSR. 7/H.A. 26/72/S. 31/Amd. (1)/82, dated the 13th January, 1982, regarding the Haryana Ceilling on Land Holdings (First Amendment) Rules, 1982, as required under section 31(2) of the Haryana Ceilling on Land Holdings Act, 1972.

The Excise and Taxation Department Notification No. GSR 24/H.A. 20/73/S. 64/Amd.(2)/82, dated the 25th February, 1982, regarding the Haryana General Sales Tax

(Second Amendment) Rules, 1982, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. GSR 27/H.A. 20/73/S. 64/Amd.(1)/82, dated the 26th February, 1982, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1982, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. GSR 98/H.A. 20/73/S. 64/81, dated the 18th September, 1981, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1981, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Annual Audit Report of the Haryana Agricultural University Hissar for the year 1979-80, as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

Sir, I beg to relay on the Table:-

The Excise and Taxation Department Notification No. GSR 46/H.A. 20/73/S. 64/Amd.(1)/81, dated the 30th March, 1981, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1981, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Corrigendum date 29th May, 1981.

The Health Department Notification No. GSR 12/H.A. 26/74/S. 7/81, dated the 3rd February, 1981, regarding the Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and

Theatre Halls Rules, 1981, as required under section 7(2) of the Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theatre Halls Act, 1974.

General Administration Department Notification No. GSR 87/H.A. 3/75/S. 8/Amd.(1)/81, dated the 20th July, 1981, regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Sepaker's (Advance for Motorcar) Amendment Rules, 1981, framed under section 8 of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Sepaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

वि ोशाधिकार मामलों के सम्बन्ध में प्रिविलेज कमेटी की प्रिलिमिनिरी रिपोर्टस पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढ़ाना

Ch. Har Swarup Bura (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Thirst Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matte in regard to the privilege issue regarding allegations levelled bySwami Aditya Vesh, M.L.A., Against Ch. Sant Kanwar, M.L.A. in the House on the 17th December, 1980.

Sir, I also beg to move:-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सारे हाउस को यह अच्छी तरह से पता है कि यह इस विधान सभा का आखिरी सै ान है। इसे बाद चुनाव के होने वाले है। प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन साहब ने इस कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पे ा करने के लिए अगले सै ान तक टाईम मांगा है इसका मतलब तो यह हुआ कि वह रिपोर्ट इस हाउस में पे ा नहीं की जाएगी। उापध्यक्ष्ज्ञ महोदय, प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन ने रिपोर्ट पे ा करने के लिए अगले सै ान तक जो टाईम मांगा है, यह हमारे साथ सरासर ज्यादती है। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर दो मैम्बरों ने एक दूसरे पर आक्षेप लगाये और वह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया। दोनों मैम्बर्ज इस बात के लिए तैयार थे कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया। दोनों मैम्बर्ज इस बात के लिए तैयार थे कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाए। उस रिपोर्ट को हाउस में पे ा करने के लिए जो टाईम की आव यकता महसूस की गई है, वह बिल्कुल गलत हैं आज का मामला अगले हाउस तक जाने का प्र न ही नहीं है क्योंकि यह विधान सभा टूट जाएगी और दूसरे हाउस तक यह मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि उस रिपोर्ट को पे ा करने के लिए प्रिविलेज कमेटी को एक

सप्ताह का टाईम दे दिया जाए, चाहे वह उसके लिए रोजाना सिटिंग करें। इस मामले पर इसी सै ान में रिपोर्ट आनी चाहिए।

चौधरी गंगा राम (गोहाना): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रिविलेज कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर रखी है। चौधरी संत कंवर के खिलाफ स्वामी आदित्यवे ा ने जो एलीगे ांज लगाए थे वे सारे बेसलैस और गलत पाए गए। यह सारी बात उस रिपोर्ट में है। (ाोर)

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी चौधरी गंगा राम ने अभी बोलते हुए कहा कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और जो भी एलीगे ांज चौधरी संत कंवर जी के खिलाफ स्वामी आदित्यवे ा जी ने लगाए थे वे बेबुनियाद और निराधार है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्वायंट पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट अभी हाउस में नहीं आई है, यदि रिपोर्ट हाउस में नहीं आई तो क्या कोई मैम्बर उस रिपोर्ट को देख सकता है ? इन्होंने किस को एप्रोच किया है ? यह मैटर आफ प्रिविलेज है कि कमेटी की रिपोट को सदन में पे ज्ञ होने से पहले देखा जाए। इनसे यह भी पूछा जाए कि किस सोर्स के जरिए इन्होंने वह रिपोर्ट देखी है। (ाोर)

श्री वीरेंन्द्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, प्रिविलेज कमेटी के सामने दो ई ू थे। एक तो यह था कि जो एलीगे ांज चौधरी संत कंवर जी ने स्वामी आदित्यवे ा पर लगाए

थे वह मामला प्रिविलेज कमेटी को रैफर हुआ था और दूसरा ममाल यह था कि जो एलीगे ांज स्वामी आदित्यवे ा ने चौधरी संत कंवर पर लगाए थे वह भी प्रिविलेज कमेटी को रैफर हुआ था। डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय काउंटर एलीगे ांज लगाए गए थे। आज हमें जो एजेण्डा मिला है, उसमें प्रिविलेज कमेटी ने उस विशय मे अपनी रिपोर्ट देने के लिए अगले सै ान तक टाईम मांगा है। डिप्टी स्पीकर साहब, रिपोर्ट का एक पार्ट जिस में स्वामी आदित्यवे ा ने चौधरी संत कंवर के खिलाफ एलीगे ांज लगाए थे, उसकी एक्सटें ान मांगी जा रही है। इसके अलावा अभी अभी हमारे सामने एक और पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके अन्दर यह लिखा है कि चौधरी संत कंवर जी ने स्वामी आदित्यवे ा के खिलाफ जो एलीगे ांज लगाए थे उनकी रिपोर्ट पे ा करने के लिए भी टाईम एक्सटेंड किया जाए। स्वामी आदित्यवे ा ने चौधरी संत कंवर पर जो एलीगे ांज लगाए थे उनके बारे में प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट तो तैयार है। It has been told on the floor of this House.

मैं रूल 272 की प्रोविजन पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है:—

"(1) The Committee of Privileges shall meet as soon as may be after a question of privilege has been referred to it. and from the time to time thereafter, till a report is made within the time fixed by the Assembly;

Provided that where the Assembly has not fixed any time for the presentation of the report, the report shall be presented within one month of the date on which reference to the Committee was made."

Sir, there are various Committeesof the House. Some of them are constituted by the House itself whereas some are nominated by the Chair. This type of provision exists only in respect of the Committee of Privileges and not for others.

मेरी नम्रता से गुजारि ा है कि जितनी भी वेरियस कमेटीज हैं जैसे पी.यू.सी., पी.ए.सी. और एस्टीमेटस हैं किसी भी कमेटी के लिए रूल्ज बनाते वक्त यह नहीं लिखा कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट एक महीने में, दो महीने में या तीन महीने में देगी। कोई भी टाईम फिक्स नहीं किया लेकिन प्रिविलेज कमेटी के लिए यह प्रोविजन किया गया है क्योंकि उसमें एक मैम्बर के प्रिविलेजिज इनवाल्वड हैं। इसलिए रूल्ज बनाने वालों ने इस रूल में प्रिविलेज कमेटी की इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए एक महीन का टाईम रखा। यह मामला पिछले कई महीनों से पैंडिंग है। Sir, in view of the fact that it has been asserted by those hon. Members who represent on that Committee that the report is ready, we seek your protection यह रिपोर्ट पे ा की जाए ताकि मामला समाप्त हो जाए क्योंकि यह एक मैम्बर के प्रिविलेज का सवाल है। मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा कि यदि वह रिपोर्ट आज पे ा न की जाए तो कमेटी के चेयरमैन साहब की

तरफ से कम से कम यह अ योरेन्स आए कि वह रिपोर्ट इसी सै ान में पे ा कर दी जाएगी।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस में यह नहीं कह सकता कि क्या रिपोर्ट बनेगी और क्या हाउस में पे ा होगी क्योंकि मैं भी प्रिविलेज कमेटी का मैम्बर हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, चेयरमेन साहब भी हाउस में बैठे हैं, अगर आप आदे ा दें तो रिपोर्ट एक सप्ताह में तैयार हो सकती है। रिपोर्ट के सारे कागजात तैयार हैं। अभी पिछले दिनों स्पीकर्ज कांफ्रैंस में यह पालिसी डिसीजन हुआ है कि जिस मैम्बर के खिलाफ प्रैजैंट हाउस में कोई मामला पेंडिंग रह जाएगा, उसे अगला हाउस कंसीडर नहीं कर सकेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, कहीं ऐसा न हो कि किसी सदस्य को न्साफ मिलने वाला हो और वह हाउस के सामने न आ सके। रिपोर्ट पे ा न होने से इन्साफ छुपा रह जाएगा और इन्साफ का तकाजा भी पूरा नहीं होगा। आप वकील भी हैं इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें, भगवान कभी कभी मौका देता हैं। बाद में पता नहीं यह एजेण्डा कहां जाएगा और क्या होगा ? इसलिए आप पाबंदी लगाएं कि इसी सै ान में रिपोर्ट पे ा करें।

हमारे चेयरमैन साहब, यहां पर बैठे हुए है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। वे इस रिपोर्ट को पे ा करने के लिए हफ्ते दस दिन का समय मांगते हों तो बे ाक दे दें। हम दिन

रात मेहनत करके इस रिपोट्ट को तैयार कर देंगे। इसके लिए हम अलग से कोई टी.ए. या डी.ए. आदि नहीं लेंगे।

श्री भले राम (बड़ौदा अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले सै ान मे ंएक दूसरे पर आरोप लगाये गए थे। उस समय स्वामी जी ने खुद कहा था कि अगर मैं कसूरवार हूंगा तो मुझे बे ाक हाउस में फांसी दे दी जाये। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में कमेटी की जो भी रिपोर्ट है, वह जरूर हाउस में पे ा करनी चाहिए और जो भी कसूरवार हो, उसे हाउस में ही फांसी दी जाये। (ाोर एवं विघ्न)

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है, आप को भी याद होगा कि पिछले सै ान में दो सदस्यों ने एक दूसरे पर एलीगे ांज और काउंटर एलीगे ांज लगाए थे और आपने कहा था कि आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेज देंगे। (ाोर एवं विघ्न) यहां हाउस के अन्दर जो रंगीन कपड़े पहने बैठा हे, उसने श्री संत कंवर पर आरोप लगाए थे लेकिन श्री संत कंवर ने इन पर कोई एलीगे ांज नहीं लगाये। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, ...
.....

श्री उपाध्यक्ष: जो मेरी परमि ान के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, जो एलीगे ांज लगाए गए थे, उसी का मामला यहां पर आ रहा है। इसके लिए ये समय मांग रहे है। (ाोर)

श्री बलदेव तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, अब तो प्र न सिर्फ इतना ही है कि एक तरफ से समय मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ से एक आनरेबल मैम्बर जो इस कमेटी का भी मैम्बर है, कह रहा है कि इस संबंध में चेयरमैन से पूछ लिया जाये कि कितने समय की आव यकता है ? इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि जितनी रीजनेबल एक्स्टैन ान की जरूरत हा वह दे दी जाये। आनरेबल मैम्बर कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार करकेदे देंगे क्योंकि काम तक रीबन पूरा हो चुका है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः तायल साहब, ये तो यह कह रहे हैं कि हम दिन रात काम करके इस रिपोर्ट को तैयार कर देंगे। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि काम तैयार पडत्रा है, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। (ाोर)

श्री बलदेव तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, यदि कमेटी के चेयरमैन साहब चाहते हों कि इसके लिए समय की जरूरत है तो आप हफ्ते दस दिन का समय दे दें और आप भी अच्छी तरह से देख लें। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः वे हमोर चेयरमैन हैं, हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, इस बारे में आप बे ाक चेयरमैन साहब से पूछ लें। यदि वे समय चाहते हैं तो आप से ले लें। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस के जितने भी मैम्बर हैं वह सब के सब सम्मान योग्य हैं। इसलिए मैं आपके जरिए सभी मैम्बरों से कहना चाहूंगा कि किसी भी मैम्बर को किसी दूसरे सदस्य के प्रति अप ाब्द नहीं कहने चाहिए। यह मेरी सभी मैम्बरों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी उदय सिंह दलाल जी हमारे पुराने मित्र हैं। ये चौधरी गंगाराम जी के साथ एक ही सीट पर बैठे हुए हैं। मैं इनकी कद्र करता हूं। गंगाराम जी कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट तैयार करके हफ्ते दस दिन के अन्दर अन्दर दे देंगे। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो गई है। आप इजाजत देंगे तो पे ा कर देंगे।

चौधरी भजन लालः अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि हम दिन रात मेहनत करके रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर दे देंगे। आप भी देख रहे हैं कि हाउस चल रहा है। माननीय सदस्य

हाउस का काम देखेंगे या दिन रात बैठकर इस रिपोर्ट का तैयार करेंगे। मैं सदन को यह भी बता देता हूं कि यह सै ान अभी भी आखिरी नहीं है। हो सकता है कि इस अवधि के दौरान एक और भी सै ान हो जाए। (ाोर एवं हंसी)

चौधरी उदय सिंह दलालः आप का कुछ नहीं पता। हो सकता है आप दिल्ली से एक साल की ओर अवधि बढ़वा लें। इसलिए आप को हाउस को गुमराह करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः इस बात के लिए तो आप लोगों को मिठाई खिलानी चाहिए। (ाोर एवं हंसी)

डा. मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इनको यहां ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह सै ान इस हाउस का आखिरी सै ान है। संविधान के मुताबिक इस असैम्बली की अवधि 5 साल की है। इसलिए इस असैम्बली का सै ान 19 जून के बाद नहीं चल सकता। 19 तारीख तक इस असैम्बली की अवधि का पूरा समय हो जायेगा। (ाोर)

चौधरी भजन लालः आखिरी तारीख 19 जून नहीं है, बल्कि 3 जुलाई है।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन साहब, जो समय रिपोर्ट पे ा करने के लिए मांग रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। हाउस के नोटिस

में यह बात भी लाना चाहता हूं कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब यह कह रहे हैं कि सारे सदस्य बड़े आदरणीय सदस्य हैं दूसरी तरफ एलीगे ान लगाये जाते हैं। जब स्वामी जी ने एलीगे ान्ज लगाये तो उन एलीगे ान्ज को प्रिविलेज कमेटी में जांच के लिए भेजा गया। स्वामी जी को एलीगे ान्ज लगाने से पहले सोच लेना चाहिए था। कमेटी ने इसकी जांच करनेके लिए एस.डी.एम. और तहसीलदार रोहतक को बुलाया। तकरीबन 20–25 गवाहों के ब्यान लिए। डिप्टी स्पीकर साहब मेरी जानकारी के अनुसार रिपोर्ट तैयार है और वह टाईप हो कर सैक्रेटरी के दफ्तर में पड़ी है। (ाोर) रिपोर्ट को जान बूझकर पे ा नहीं किया जा रहा। जब एलीगे ान्ज स्वामी जी के विरूद्ध साबित हो गए हैं तो रिपोर्ट हाउस में पे ा करनी चाहिए। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: I may ivite the attention of the hon. Members to page 227 of the book, Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher, It says:-

"It is a breach of privilege and contempt of the House to publish any part of the proceedings or evidence given before, or any document presented to a Parliamentary Committee before such proceedings or evidence or documents have been reported in the House."

इसलिए जब तक यह रिपोर्ट हाउस में पे ा नहीं हो जाती तब तक आप रिपोर्ट के कंटैट्स पर डिसक ान नहीं कर सकते।

चौधरी संत कंवरः हम तो चाहते हैं कि रिपोर्ट पे ा की जाये। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः मैं तो आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यह हाउस की अनुमति चाहते हैं कि इसकी अवधि बढ़ा दी जाये। (ाोर) अब मैं मो ान को हाउस की वोट के लिए पे ा करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने रूल 272 का हवाला दिया था। उसके बारे में आप कुछ फैसला करें या इनसे अ योरेंस दिला दें कि इसी सै ान में रिपोर्ट पे ा की जाएगी।

श्री उपाध्यक्षः आप कृपया बैठिये। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत गम्भीर मामला है। (ाोर)

श्रीह वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः अगर आप जब्रदस्ती इस प्रस्ताव को पास करवाना चाहते हैं तो हमें वाक आउट करना पड़ेगा।

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next session.

The motion was carried.

वाक आउट

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके विरूद्ध वाक आउट करते है।

(इस समय श्री गंगा राम, स्वामी आदित्यवे ा के संबंध में कुछ बोलते रहे।)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Ganga Ram, please take your seat, otherwise I will have to name you.

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

वि ोशाधिकार मामलों के सम्बन्ध में प्रिविलेज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्टस में पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढ़ाना (पुनरारम्भ)

2. चौधरी संत कंवर एम.एल.ए. द्वारा स्वामी आदित्यवे ा एम. एल.ए. के विरूद्ध लगाए गए आरोपों सम्बन्धी

Ch. Har Swarup Bura (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the

privilege issue regarding allegations levelled by Ch. Sant Kanwar, M.L.A. against Swami Aditya Vesh, M.L.A. in the House on 17-12-1980.

Sir, I also beg to move:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next session.

The motion was carried.

(iii) 10 जुलाई, 1980 को इस महान सदन के माननीय सदस्यों के लिए क्षोभक तथा अपमानजनक भाशा प्रयोग करने के संबंध में डा. मंगल सैन एम.एल.ए. के विरूद्ध अभिकथित वि ोशाधिकार भंग करने के प्र न संबंधी।

Ch. Har Swarup Bura (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the privilege issue against Dr. Mangal Sein, M.L.A. for using

offensive and derogatory language for the hon'ble Members of this august House on the 10th July, 1980.

Sir, I also beg to move:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next session.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 16th March, 1982.

17.50 Hours

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 16th March, 1982.)